रजिस्ट्री संख्या डी. एल.—33001/95 REGISTERED NO. DL-33001 95

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 7] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 17, 1996/माघ 28, 1917
No. 7] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 17, 1996/MAGHA 28, 1917

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

(न्यायिक अनुभाग)

सूचना

नई दिल्ली, 15 जनवरी, 1996

का. आ. 441.—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री हर गोपाल बत्रा, एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे गीता कालोनी, राष्ट्रीय राजधानी, दिल्ली में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप से मेरे पास भेजा जाए।

[सं. 5 (22)/96-न्यायिक]

पी. सी. कण्णन, सक्षम प्राधिकारी

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Legal Affairs)

(Judicial Section)

NOTICE

New Delhi, the 15th January, 1996

S.O. 441.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of Rule 6 of the Notaries Act, 1956 that application has been made to the said Authority, under Rule 4 of the said Rules, by Shri Har Gopal Batra, Advocate for appointment as a Notary to practise in Geeta Colony, NCT of Delhi.

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this notice.

[No. F. 5 (22)/96-Judl.]

P. C. KANNAN, Competent Authority.

सूचना

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 1996

का. आ. 442.—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री राजेन्द्र गुप्ता, एडवोकेट, ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे पठानकोट (पंजाब) में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप से मेरे पास भेजा जाए।

[सं. 5 (23)/96-न्यायिक]

पी. सी. कण्णन, सक्षम प्राधिकारी

NOTICE

New Delhi, the 22nd January, 1996

S.O. 442.—Notice is hereby given by the Central Authority in pursuance of Rule 6 of the Notaries Act, 1956 that application has been made to the said Authority, under Rule 4 of the said Rules, by Shri Rajinder Gupta, Advocate for appointment as a Notary to practise in Pathankot (Punjab).

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this notice.

[No. F. 5 (23)/96-Judl.]

P. C. KANNAN, Competent Authority.

सूचना

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 1996

का. आ. 443.—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री किशन सिंह तेवतिया, एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे पलवल (हरियाणा) में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप से मेरे पास भेजा जाए।

[सं. 5 (24)/96-न्यायिक

पी. सी. कण्णन, सक्षम प्राधिकारी]

NOTICE

New Delhi, the 22nd January, 1996

S.O. 443.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of Rule 6 of the Notaries Act, 1956 that application has been made to the said Authority, under Rule 4 of the said Rules, by Shri Kishan Singh Tewatia, Advocate for appointment as a Notary to practise in Palwal, (Haryana).

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this notice.

[No. F. 5 (24)/96-Judl.]

P. C. KANNAN, Competent Authority.

सूचना

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 1996

का. आ. 444.—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि सुश्री हेलन जोशी, एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे घाटकोपर (पूर्वी) महाराष्ट्र में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप से मेरे पास भेजा जाए।

[सं. 5 (25)/96-न्यायिक]

पी. सी. कण्णन, सक्षम प्राधिकारी

NOTICE

New Delhi, the 22nd January, 1996

S.O. 444.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of Rule 6 of the Notaries Act, 1956 that application has been made to the said Authority, under Rule 4 of the said Rules, by Ms. Helen Joshi, Advocate for appointment as a Notary to practise in Ghatkopar (East) Maharashtra.

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this notice.

[No. F. 5 (25)/96-Judl.]

P. C. KANNAN, Competent Authority.

सूचना

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 1996

का. आ. 445.—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री मुकेश हरबंसलाल आहूजा, एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे नेरुल, नई बम्बई (महाराष्ट्र) में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप से मेरे पास भेजा जाए।

[सं. 5 (26)/96-न्यायिक]

पी. सी. कण्णन, सक्षम प्राधिकारी

NOTICE

New Delhi, the 22nd January, 1996

S.O. 445.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of Rule 6 of the Notaries Act, 1956 that application has been made to the said Authority, under Rule 4 of the said Rules, by Shri Shri Mukesh Harbanslal Ahooja, Advocate for appointment as a Notary to practise in Nerul, New Bombay (Maharashtra).

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this notice.

[No. F. 5 (26)/96-Judl.]

P. C. KANNAN, Competent Authority.

सूचना

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 1996

का.आ. 446:—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री विजय कुमार पराशर, एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे फगवाड़ा, जिला कपूरथला (पंजाब) में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप से मेरे पास भेजा जाए।

[सं. 5(27)/96-न्यायिक]

पी.सी. कण्णन, सक्षम प्राधिकारी

NOTICE

New Delhi, the 24th January, 1996

S.O. 446.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of Rule 6 of the Notaries Act, 1956 that application has been made to the said Authority under Rule 4 of the said Rules, by Sh. Vijay Kumar Prashar, Advocate for appointment as a Notary to practise in Phagwara, District Kapurthala (Punjab).

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this notice.

[No. F. 5(27)/96-Judl.]

P. C. KANNAN, Competent Authority

सूचना

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 1996

का.आ. 447—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री केदार नाथ गुप्ता, एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे गिदरबाहा, मुक्तसर जिला (पंजाब) में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप से मेरे पास भेजा जाए।

[सं. 5(28)/96-न्यायिक]

पी.सी. कण्णन, सक्षम प्राधिकारी

NOTICE

New Delhi, the 24th January, 1996

S.O. 447.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of Rule 6 of the Notaries Act, 1956 that application has been made to the said Authority under Rule 4 of the said Rules, by Sh. Kedar Nath Gupta, Advocate for appointment as a Notary to practise in Gidarbaha, District Muktsar (Punjab).

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this notice.

[No. F. 5(28)/96-Judl.]

P. C. KANNAN, Competent Authority

सूचना

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 1996

का.आ. 448:—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री राम चन्द्र शर्मा एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे गुहला सब डिविजन, कैथल जिला (हरियाणा) में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप से मेरे पास भेजा जाए।

[सं. 5(29)/96-न्यायिक]

पी.सी. कण्णन, सक्षम प्राधिकारी

NOTICE

New Delhi, the 29th January, 1996

S.O. 448.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of Rule 6 of the Notaries Act, 1956 that application has been made to the said Authority under Rule 4 of the said Rules, by Sh. Ram Chander Sharma, Advocate for appointment as a Notary to practise in Guhla, Sub-Div. District Kaithal (Haryana).

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this notice.

[No. F. 5(29)/96-Judl.]

P. C. KANNAN, Competent Authority

सूचना

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 1996

का.आ. 449.—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा उक्त यह सूचना दी जाती है कि श्री कुम्हार तुका राम राम चन्द्र एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे तासगांव जिला (महाराष्ट्र) में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप से मेरे पास भेजा जाए।

[सं. 5(30)/96-न्यायिक]

पी.सी. कण्णन, समक्ष प्राधिकारी

NOTICE

New Delhi, the 29th January, 1996

S.O. 449.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of Rule 6 of the Notaries Act, 1956 that application has been made to the said Authority under Rule 4 of the said Rules, by Sh. Kumbhar Tukaram Ram Chander, Advocate for appointment as a Notary to practise in Tasgaon, District Sangli (Maharashtra).

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this notice.

[No. F. 5(30)/96-Judl.]

P. C. KANNAN, Competent Authority

सूचना

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 1996

का.आ. 450:—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री भगवान स्वरूप माथुर, एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे जयपुर (राजस्थान) में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप से मेरे पास भेजा जाए।

[सं. 5(31)/96-न्यायिक]

पी.सी. कण्णन, सक्षम प्राधिकारी

NOTICE

New Delhi, the 29th January, 1996

S.O. 450.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of Rule 6 of the Notaries Act, 1956 that application has been made to the said Authority under Rule 4 of the said Rules, by Sh. Bhagwan Swaroop Mathur, Advocate for appointment as a Notary to practise in Jaipur (Rajasthan).

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this notice.

[No. F. 5(31)/96-Judl.]
P. C. KANNAN, Competent Authority

सूचना

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 1996

का.आ. 451.—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री आसिफ अली, एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे रायचूर जिला (कर्नाटक) में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप से मेरे पास भेजा जाए।

[सं. 5(32)/96-न्यायिक]
पी.सी. कण्णन, सक्षम प्राधिकारी

NOTICE

New Delhi, the 29th January, 1996

S.O. 451.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of Rule 6 of the Notaries Act, 1956 that application has been made to the said Authority under Rule 4 of the said Rules, by Sh. Asif Ali, Advocate for appointment as a Notary to practise in Raichur District (Karnataka).

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this notice.

[No. F. 5(32)/96-Judl.]
P. C. KANNAN, Competent Authority

सूचना

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 1996

का.आ. 452.—नोटरी नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री राज किशन शर्मा, एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम, के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे बुलन्दशहर (उत्तर प्रदेश) में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप से मेरे पास भेजा जाए।

[सं. 5(33)/96-न्यायिक]
पी.सी. कण्णन, सक्षम प्राधिकारी

NOTICE

New Delhi, the 29th January, 1996

S.O. 452.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of Rule 6 of the Notaries Act, 1956 that application has been made to the said Authority under Rule 4 of the said Rules, by Sh. Raj Kishan Sharma, Advocate for appointment as a Notary to practise in Bulandshahar (U.P.).

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this notice.

[No. F. 5(33)/96-Judl.]
P. C. KANNAN, Competent Authority

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 1996

का.आ. 453.—केन्द्रीय सरकार, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (1946 का 25) की धारा 6 के साथ पठित धारा 5, उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान सरकार के गृह विभाग (समूह-5) के आदेश संख्या ई 14(3)/होम/वी/95 दिनांक 25-07-95 द्वारा दी गयी सहमति से, भारतीय दण्ड संहिता 1860 (1860 का 45) की धारा 420, 467, 468, 471 474 के अधीन थाना भीमगंज मंडी, कोटा, राजस्थान में पंजीकृत अपराध संख्या 478/94 के अन्वेषण के लिये या उन्हीं तथ्यों से उत्पन्न होने वाले वैसे संव्यवहार के अनुक्रम में किया गया या किये गये किसी अन्य अपराध के अन्वेषण के लिये दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता का विस्तार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य पर करती है।

[सं. 228/46/95-ए.वी.डी.-II]
एस. सुंदर राजन, अवर सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS

(Department of Personnel & Training)

ORDER

New Delhi, the 30th January, 1996

S.O. 453.—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 5 read with Section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946), the Central Government with the consent of the State Government of Rajasthan accorded vide Home (Gr. V) Department order No. E. 14(3)/Home/V/95 dated 25th July, 1995 hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment to the whole of State of Rajasthan for investigation of the offences in F.I.R. No. 478/94 Police Station Bhimganj Mandi, Kota Rajasthan u/s. 420, 467, 468, 471, 474 of the Indian Penal Code 1860 (45 of 1860) or any other offence or offences committed in the course of the same transaction arising out of the said case.

[No. 228/46/95-AVD-II]
S. SOUNDER RAJAN, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 1996

का.आ. 454.—केन्द्रीय सरकार, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (1946 का अधिनियम सं. 25) की धारा 6 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मोहम्मद रमजान

लोन के विरुद्ध पुलिस थाना कुमार गंज, जिला दीनाजपुर, पश्चिम बंगाल में दर्ज एफ.आई.आर. सं. 35/95 दिनांक 16-3-95 के संबंध में भारतीय दंड संहिता की धारा 121ए 122, 123, 124ए और 153बी के अन्तर्गत दंडनीय अपराधों और उक्त अपराधों और उन्हीं तथ्यों से उत्पन्न होने वाले वैसे ही संव्यवहार के अनुक्रम में किए गए किन्हीं अन्य अपराधों के संबंध में या उनसे संसक्त प्रयत्नों, दुष्प्रेरणों और षड्यंत्रों के अन्वेषण के लिये पश्चिम बंगाल सरकार के गृह (पासपोर्ट) विभाग, अधिसूचना सं. 1797-पी पी/एस 525/95 दिनांक 20-12-95 के तहत पश्चिम बंगाल सरकार की सहमति से दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता का विस्तारण संपूर्ण पश्चिम बंगाल राज्य पर करती है।

[सं. 228/65/95-ए.वी.डी.-II(i)]

एस. सौंदर राजन, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 31st January, 1996

S.O. 454.—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (i) of Section 5 read with Section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (Act 25 of 1946), the Central Government with the consent of the Government of West Bengal vide Government of West Bengal, Home (Passport) Department Notification No. 1797-PP/B/S-25/95 dated 20th December, 1995, hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment to the whole of the state of West Bengal for the investigation of the offences punishable under Section 121A, 122, 123, 124A and 153B IPC and any attempts, abetments and conspiracies in relation to or in connection with the said offences and any other offences committed in the course of the same transaction or arising out of the same fact or facts in regard to the FIR No. 35/95 dated 16th March, 1995 registered at Police Station Kumar Ganj, District South Dinajpur, West Bengal against Mohd. Ramzan Lone.

[No. 228/65/95-AVD-II(i)]

S. SOUNDER RAJAN, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 1996

का.आ. 455.—केन्द्रीय सरकार, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (1946 का अधिनियम सं. 25) की धारा 6 के साथ पठित धारा 5 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मोहम्मद आरिफ के विरुद्ध पुलिस थाना बागदा, 24 परगना, पश्चिम बंगाल में दर्ज एफ. आई. आर. सं. 84/95 दिनांक 10-5-95 के संबंध में भारतीय दंड संहिता की धारा 121/121 (ए) 122, 123, 124ए/153(बी) के अन्तर्गत दंडनीय अपराधों और उन्हीं तथ्यों से उत्पन्न होने वाले वैसे ही संव्यवहार के अनुक्रम में किए गए किन्हीं अन्य अपराधों के संबंध में या उनसे संसक्त प्रयत्नों, दुष्प्रेरणों और षड्यंत्रों के अन्वेषण के लिये पश्चिम बंगाल सरकार के गृह (पासपोर्ट) विभाग, अधिसूचना सं. 1806-पी पी/बी/एस-25/95 दिनांक 20-12-95 के तहत पश्चिम बंगाल सरकार की सहमति से दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता का विस्तारण संपूर्ण पश्चिम बंगाल राज्य पर करती है।

[सं. 228/65/95-ए.वी.डी. (II) (ii)]

एम. सौंदर राजन, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 31st January, 1996

S.O. 455.—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (i) of section 5 read with Section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (Act 25 of 1946), the Central Government with the consent of the Government of West Bengal vide Government of West Bengal, Home (Passport) Department, Notification No. 1806-PP/B/S-25/95 dated 20-12-95, hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment to the whole of the State of West Bengal for the investigation of the offences punishable under sections 121, 121A, 122, 123, 124A, 153B IPC and any attempts, abetments and conspiracies in relation to or in connection with the said offences and any other offences committed in the course of the same transaction or arising out of the same fact or facts in regard to the FIR No. 84/95 dated 10-5-1995 registered at Police Station Bagdah, North 24 Parganas, West Bengal against Mohd. Arif.

[No. 228/65/95-AVD-II(ii)]

S. SOUNDER RAJAN, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 1996

स्टाम्प

का.आ. 456.—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा मै. टीटागढ़ स्टीलज लिमिटेड, कलकत्ता द्वारा जारी किए जाने वाले कुल तीन करोड़ रुपए के मूल्य के समभूल्य के एक सौ रुपए के अंकित मूल्य के 001 से 30, 00,000 की विशिष्ट संख्या वाले 13.5% असुरक्षित पूर्ण रूप से परिवर्तनीय ऋण-पत्रों पर स्टाम्प शुल्क के कारण प्रभार्य बाइस लाख पचास हजार रुपए का स्टाम्प शुल्क अदा करने के लिए मै. टीटागढ़ स्टीलस लिमिटेड को अनुमति प्रदान करती है।

[सं. 3/96-स्टाम्प/फा. सं.-33/53/95-वि.क.]

एस. कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

ORDER

New Delhi, the 24th January, 1996

STAMPS

S.O. 456.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby permits M/s. Titagarh Steels Limited, Calcutta to pay consolidated stamp duty of Rupees Twenty two lakhs fifty thousand only.

chargeable on account of the stamp duty on 13.5 per cent unsecured fully convertible debentures bearing distinctive numbers 001 to 30,00,000 of the face value of Rupees One hundred at par of the aggregate value of Rupees Thirty Crores to be issued by M/s. Titagarh Steels Limited, Calcutta.

[No. 3/96-Stamps/F. No. 33|53|95-ST]

S. KUMAR, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 1996

स्टाम्प

का.आ. 457.—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा मै. लैंको इन्डस्ट्रीज लि., सिकन्दराबाद को पांच लाख बीस हजार रु. के उस समेकित स्टाम्प शुल्क अदा करने की अनुमति प्रदान करती है जो मै. लैंको इन्डस्ट्रीज लि., सिकन्दराबाद द्वारा जारी किए गए 7 करोड़ रु. के समग्र मूल्य के 10—10 लाख रु. के मूल्य के इन्डस्ट्रियल क्रेडिट कारपोरेशन आफ इंडिया के पक्ष में 21 सितम्बर, 1995 के आबंटित अपरिवर्तनीय ऋण-पत्रों पर स्टाम्प शुल्क के रूप में प्रभार्य है।

[फा. सं. 4/96—स्टाम्प/फा. सं.—33/56/95—वि.क.]

एस. कुमार, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 24th January, 1996

STAMPS

S.O. 457.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby permits M/s. Lanco Industries Limited, Secunderabad to pay consolidated stamp duty of Rupees Five lakhs twenty thousand only, chargeable on account of the stamp duty on Non-Convertible Debentures allotted on 21st September, 1995 in favour of Industrial Credit and Investment Corporation of India Limited of the denomination of Rupees Ten lakhs each of the aggregate value of Rupees Seven Crores only issued by M/s. Lanco Industries Limited, Secunderabad.

[F. No. 4/96-Stamps/F. No. 33|56|95-ST]

S. KUMAR, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 1996

स्टाम्प

का.आ. 458.—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उस शुल्क को माफ करती है जो भारतीय पर्यटन वित्त निगम लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा—

(क) 31-5-94 को जारी किए गए मात्र पच्चीस करोड़ रु. के कुल मूल्य के 01 से 250000 तक की विशिष्ट संख्या वाले 13.5% (कराधेय) असुरक्षित विमोच्य टी एफ सी आई बंधपत्रों (एम बी—5 श्रृंखला);

(ख) 30-3-94 को जारी किए गए मात्र पच्चीस करोड़ रु. के कुल मूल्य के 01 से 250000 तक की विशिष्ट संख्या वाले 14% (कराधेय) असुरक्षित विमोच्य टी एफ सी आई बंधपत्रों (एम बी—IV श्रृंखला); और

(ग) 1-8-94 को जारी किए गए मात्र पचास करोड़ रु. के कुल मूल्य के 01 से 200 तक की विशिष्ट संख्या वाले अनिश्चित दर वाले बंधपत्रों (एफ बी—1 श्रृंखला)

पर उक्त अधिनियम के कारण प्रभार्य है।

[सं. 2/95—स्टाम्प/फा. सं.—33/50/94—वि.क.]

एस. कुमार, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 24th January, 1996

STAMPS

S.O. 458.—In exercise of the powers conferred by clause (a)of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby remits the duty with which the bonds in the nature of promissory notes described as, :—

(a) 13.5 per cent (Taxable) Unsecured Redeemable TFCI Bonds (MB-V Series) bearing distinctive numbers 01 to 250000 of the aggregate value of Rupees Twenty five crores only issued on 31-5-94;

(b) 14 per cent (Taxable) Unsecured Redeemable TFCI Bonds (MB-IV Series) bearing distinctive numbers 01 to 250000 of the aggregate value of Rupees Twenty five crores only issued on 30-3-94; and

(c) Floating Rate Bonds (FB-I Series) bearing distinctive numbers 01 to 200 of the aggregate value of Rupees Fifty crores only issued on 1-8-94.

by the Tourism Finance Corporation of India Limited, New Delhi, are chargeable under the said Act.

[No. 2/95-Stamps/F. No. 33|50|94-ST]

S. KUMAR, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 1996

स्टाम्प

का.आ. 459.—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उस शुल्क को माफ करती है जो कि उक्त अधिनियम के अन्तर्गत आवास और शहरी विकास निगम द्वारा दिनांक 15-12-94 को जारी किए गए केवल एक सौ चौहत्तर करोड़ रु. के समेकित मूल्य के एक-एक हजार रु. के मूल्य के 94,000001 से 95740000 तक की विशिष्ट संख्या वाले 9.25% कर मुक्त बंध-पत्रों (श्रृंखला IV—क) के रूप में वर्णित ऋण-पत्रों के स्वरूप के बंध-पत्रों पर प्रभार्य है।

[सं. 5/95—स्टाम्प—फा. सं.—33/13/95—वि.क.]

एस. कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
ORDER

New Delhi, the 5th February, 1996

STAMPS

S.O. 459.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby remits the duty with which the bonds in the nature of debentures, described as 9.25% Tax free bonds (Series IV-A) bearing distinctive numbers 94000001 to 95740000 of the value of Rupees One thousand each aggregating to Rupees One hundred seventy four crores only, issued by the Housing and Urban Development Corporation, New Delhi on 15-12-94, are chargeable under the said Act.

[No. 5/96-Stamps-F. No. 33/13/95-ST]

S. KUMAR, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 1996

स्टाम्प

का. आ. 460.—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उस शुल्क को माफ करती है जो भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक द्वारा जारी किए गए मात्र पचहत्तर करोड़ सत्तायन लाख रु. के कुल मूल्य के, एक-एक लाख रु. मूल्य के 0001 से 7557 तक की विशिष्ट संख्या वाले 15% आई आर बी आई बंध-पत्र 2000 (क श्रृंखला) के रूप वर्णित प्रोमिसरी नोटों के स्वरूप के बंध-पत्रों पर उक्त अधिनियम के अंतर्गत प्रभार्य है।

[सं. 6/96—स्टाम्प फा. सं. 33/26/95—वि. क.]

एस. कुमार, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 5th February, 1996

STAMPS

S.O. 460.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby remits the duty with which the bonds in the nature of promissory notes described as 15% IRBI Bonds 2000 (A Series) bearing distinctive numbers from 0001 to 7557 of the value of rupees one lakh each, aggregating to rupees seventy five crores and fifty seven lakhs only issued by the Industrial Reconstruction Bank of India are chargeable under the said Act.

[No. 6/96-Stamps-F. No. 33/26/95-ST]

S. KUMAR, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 1996

स्टाम्प

का. आ. 461.—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उस शुल्क को माफ करती है जो कोंकण रेलवे कारपोरेशन लि. द्वारा जारी किए गए :—

(क) 12.00 करोड़ रु. के कुल मूल्य के 01 से 1,20,000 तक की विशिष्ट संख्या वाले 10.5% कर मुक्त कोंकण रेलवे बंधपत्र (4 ए श्रृंखला) ;

(ख) 63.00 करोड़ रुपये के कुल मूल्य के 01 से 6,30,000 तक की विशिष्ट संख्या वाले 10.5% कर मुक्त कोंकण रेलवे बंधपत्र (4 बी श्रृंखला)

के प्रोमिसरी नोटों के रूप में वर्णित बंध-पत्रों पर उक्त अधिनियम के अंतर्गत प्रभार्य है।

[सं. 7/96—स्टाम्प—फा. सं. 33/30/95—वि. क.]

एस. कुमार, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 5th February, 1996

STAMPS

S.O. 461.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby remits the duty with which the bonds in the nature of promissory notes described as:—

(a) 10.5% tax free Konkan Railway Bonds (4A Series) bearing distinctive numbers 01 to 1,20,000 aggregating to Rupees 12.00 crores;

(b) 10.5% tax-free Konkan Railway Bonds (4B series) bearing distinctive numbers 01 to 6,30,000 aggregating to Rupees 63.00 crores;

issued by the Konkan Railway Corporation Limited, are chargeable under the said Act.

[No. 7/96-Stamps-F. No. 33/30/95-ST]

S. KUMAR, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 1996

स्टाम्प

का. आ. 462.—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उस शुल्क को माफ करती है जो कि उक्त अधिनियम के अंतर्गत नेशनल हाउसिंग बैंक, नईदिल्ली द्वारा जारी किए जाने वाले मात्र पैंतालीस करोड़ रुपये के मूल्य के 12.5%—10 वर्षीय नेशनल हाउसिंग बैंक बंध-पत्रों (सातवीं श्रृंखला) के रूप में वर्णित प्रोमिसरी नोटों के स्वरूप के बंध-पत्रों पर प्रभार्य है।

[सं. 10/96—स्टाम्प—फा. सं. 33/28/95—वि. क.]

एस. कुमार, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 5th February, 1996

STAMPS

S.O. 462.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby remits the duty with which the bonds in the nature of promissory notes described as 12.50% 10 years National Housing Bank Bonds (seventh series) of the value of rupees forty five crores only to be issued by National Housing Bank, New Delhi are chargeable under the said Act.

[No. 10/96-Stamps/F. No. 33/28/95-ST]

S. KUMAR, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 1996

स्टाम्प

का. आ. 463.—भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उस शुल्क को माफ करती है जो कि उक्त अधिनियम के अंतर्गत ईराक से प्राप्त होने वाले उनके बकाया के संबंध में दावों के अन्तरण के लिए एक्स-पोर्ट क्रेडिट गारंटी कार्पोरेशन द्वारा इण्डियन प्रोजेक्ट एक्सपोर्टर्स को जारी किए जाने वाले मात्र एक सौ तिरासी करोड़ और सोलह लाख रु. के समेकित मूल्य के ई. सी. जी० सी० बंध-पत्रों के रूप में वर्णित प्रोमिसरी नोटों के स्वरूप के बंध-पत्रों पर प्रभार्य है।

[सं. 11/96—स्टाम्प—फा. सं.—33/8/95—वि. क.]

एस. कुमार, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 5th February, 1996

STAMPS

S.O. 463.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby remits the duty with which the bonds in the nature of promissory notes described as ECGC Bonds of the aggregate value of rupees one hundred eighty three crores and sixteen lakhs only to be issued by the Export Credit Guarantee Corporation Ltd. to the Indian Project Exporters for transfer of the claims in respect of their dues to be received from Iraq, are chargeable under the said Act.

[No. 11/96-Stamps/F. No. 33/8/95-ST]

S. KUMAR, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 1996

स्टाम्प

का. आ. 464.—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा हिन्दुस्तान डवलपमेन्ट कारपोरेशन लि. कलकत्ता को मात्र तीन लाख पचहत्तर हजार रुपए के समेकित स्टाम्प शुल्क अदा करने की अनुमति देती है जो उक्त कम्पनी द्वारा जारी किए जाने वाले मात्र पांच करोड़ रुपए के समग्र मूल्य के 100-100 रु. के अंकित मूल्य के 30483207 से 30983206 तक के विशिष्ट संख्या के 16.5% सुरक्षित अपरिवर्तनीय ऋण-पत्रों (12वीं श्रृंखला) पर प्रभार्य है।

[सं. 12/96—स्टाम्प—फा. सं. 15/1/95—वि. क.]

एस. कुमार, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 5th February, 1996

STAMPS

S.O. 464.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby permits the Hindustan Development Corporation Limited, Calcutta to pay consolidated stamp duty of rupees three lakhs seventy five thousand only chargeable on account of the stamp duty on 16.5% Secured Non Convertible Debentures (Series XII) bearing distinctive numbers from 30483207 to 30983206 of the face value of rupees One hundred each of the aggregate value of Rupees Five crores only to be issued by the said company.

[No. 12/96-STAMPS/F. No. 15/1/96-ST]

S. KUMAR, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 1996

स्टाम्प

का. आ. 465.—भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा हिन्दुस्तान डवलपमेन्ट कारपोरेशन लि. कलकत्ता को पन्द्रह लाख रुपए की समेकित स्टाम्प शुल्क अदा करने की अनुमति देती है जो उक्त कम्पनी द्वारा जारी किए जाने वाले मात्र बीस करोड़ रुपये के समग्र मूल्य के सौ-सौ रु. के अंकित मूल्य के 30983207 से 32983206 तक के विशिष्ट संख्या के 17.5% सुरक्षित अपरिवर्तनीय ऋण-पत्रों (13वीं श्रृंखला) के कारण प्रभार्य है।

[सं. 13/96—स्टाम्प—फा. सं. 15/2/96—वि. क.]

एस. कुमार, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 5th February, 1996

STAMPS

S.O. 465.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby permits Hindustan Development Corporation Limited, Calcutta to pay consolidated stamp duty of Rupees Fifteen Lakhs only

chargeable on account of the stamp duty on 17.5% Secured Non Convertible Debentures (Series XIII) bearing distinctive numbers from 30983207 to 32983206 of the face value of Rupees One hundred each of the aggregate value of Rupees Twenty crores only to be issued by the said company.

[No. 13/96-Stamps/F. No. 15/2/96-ST]

S. KUMAR, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 1996

स्टाम्प

का. आ. 466:—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उस शुल्क को माफ करती है जो शिपिंग क्रेडिट एण्ड इंवेस्टमेंट कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, द्वारा जारी किए गए :—

(क) एल. आई. सी. को जारी किए गए 25 करोड़ रुपये के कुल मूल्य के 1,000 रुपये प्रत्येक (मात्र एक हजार रुपये) के 2,50,000 नोटों के 15 प्रतिशत वाले ;

(ख) आर्मी ग्रुप इंशोरेंस फंड (एजीआई) को जारी किए गए 25 करोड़ रुपये के कुल मूल्य के 10,00,000 रुपये प्रत्येक (मात्र दस लाख रुपये) के 250 नोटों, के 15 प्रतिशत वाले;

प्रोमिसरी नोटों के रूप में वर्णित बंधपत्रों पर उक्त अधिनियम के अंतर्गत प्रभार्य है।

[सं. 14/96—स्टाम्प—फा. सं. 33/33/95—वि. क.]

एस. कुमार, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 5th February, 1996

STAMPS

S.O. 466.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby remits the duty with which the bonds in the nature of promissory notes described as :—

(a) 15 per cent 250,000 Notes of Rs. 1000 (Rupees One thousand only) each aggregating Rs. 25 crores issued to LIC;

(b) 15 per cent 250 Notes of Rs. 10,00,000 (Rupees ten lakhs only) each aggregating Rs. 25 crores issued to Army Group Insurance Fund (AGI);

by the Shipping Credit and Investment Company of India Limited are chargenble under the said Act.

[No. 14/96-Stamps/F. No. 33/33/95-ST]

S. KUMAR, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 1996

स्टाम्प

का. आ. 467:—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उस शुल्क को माफ करती है जो शिपिंग क्रेडिट एंड इंवेस्टमेंट कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा जारी किए गए :—

(क) मात्र 45 करोड़ रुपए मूल्य के 13% नियत दर वाले बंधपत्रों ; और

(ख) मात्र एक सौ अड़तालीस करोड़ और अस्सी लाख रुपए मूल्य के 17% नियत दर वाले बंधपत्रों;

के प्रोमिसरी नोटों के रूप वाले बंधपत्रों पर उक्त अधिनियम के अंतर्गत प्रभार्य है।

[सं. 15/96—स्टाम्प—फा. सं. 33/3/95—वि. क.]

एस. कुमार, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 5th February, 1996

STAMPS

S.O. 467.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of the Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby remtis the duty with which the bonds in the nature of promissary notes described as :—

(a) 13% fixed rate bonds of the value of rupees forty five crores only; and

(b) 17% fixed rate bonds of the value of rupees one hundred forty eight crores and eighty lakhs only;

issued by the Shipping Credit and Investment Company of India Limited are chargeable under the said Act.

[No. 15/96-STAMPS/F. No. 33/3/95-ST]

S. KUMAR, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 6 फरवरी, 1996

स्टाम्प

का. आ. 468:—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 899 (1899 का 2) की धारा 9की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उस शुल्क को माफ करती है जो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, बम्बई द्वारा जारी किए गए मात्र एक सौ पचास करोड़ रुपए मूल्य के 100-100 रुपये मूल्य के प्रोमिसरी नोटों के स्वरूप में

वर्णित 14% एस. आई. डी. बी. आई. बांड 2005 (6ठी श्रृंखला के रूप में वर्णित बांडों पर उक्त अधिनियम के अंतर्गत प्रभार्य है।

[सं. 8/96-स्टाम्प--फा. सं. 33/41/95—वि. क.]

एस. कुमार, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 6th February, 1996

STAMPS

S.O. 468.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby remits the duty with which the bonds in the nature of promissory notes described as 14% SIDBI Bonds 2005 (6th Series) of the value of rupees one hundred each aggregating to rupees one hundred and fifty crores only issued by the Small Industries Development Bank of India, Bombay are chargeable under the said Act.

[No. 8/96-Stamps-F. No. 33/41/95-ST]

S. KUMAR, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 6 फरवरी, 1996

स्टाम्प

का. आ. 469 :—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उस शुल्क को माफ करती है जो कि उक्त अधिनियम के अंतर्गत शिपिंग क्रेडिट एंड इंवेस्टमेंट कंपनी आफ इंडिया लिमिटेड, बम्बई द्वारा जारी किए गए दो सौ करोड़ रुपये के समेकित मूल्य के दस-दस लाख रुपये के मूल्य के 0001 से 2000 को विशिष्ट संख्या वाले फ्लोटिंग रेट बंधपत्रों (एफ. आर. एन. II श्रृंखला) के रूप में वर्णित प्रोमिसरी नोटों के स्वरूप के बंधपत्रों पर प्रभार्य है।

[सं. 9/96-स्टाम्प फा. सं. 33/76/94-वि. क.]

एस. कुमार, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 6th February, 1996

STAMPS

S.O. 469.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby remits the duty with which the bonds in the nature of promissory notes described as Floating Rate Bonds (FRN-II Series) bearing distinctive numbers 0001 to 2000 of the value of rupees ten lakhs each aggregating to rupees two hundred crores only issued by Shipping Credit and Investment Company of India Limited, Bombay are chargeable under the said Act.

[No. 9/96-Stamps/F. No. 33/76/94-ST]

S. KUMAR, Under Secy.

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 1996

का. आ. 470.—राजनयिक कोंसली अधिकारी (शपथ एवम् शुल्क) अधिनियम, 1948 (1948 का 41वां) की धारा 2 के अंक (क) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत का दूतावास रियाध, आशुलिपिक श्री गुरदेव सिंह को 24 जनवरी, 1996 से कोंसली एजेंट का कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

[स. टी-4330/1/95]

प्रताप सिंह, अवर सचिव (पी. वी. एस.)

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 29th January, 1996

S.O. 470.—In pursuance of the Clause (a) of the Section 2 of the Diplomatic and Consular Officers (Oaths and Fees) Act, 1948 (41 of 1948), the Central Government hereby authorises Shri Gurdev Singh Steno in the Embassy of India Riyadh to perform the duties of Consular Agent with effect from 24th January, 1996.

[No. T-4330/1/95]

PRATAP SINGH, Under Secy. (Cons.)

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 1996

का.आ. 471.—श्री सुजीत बनर्जी, भारतीय प्रशासनिक सेवा (उत्तर प्रदेश-72) ने 20 नवम्बर, 1995 के अपराह्न को वायदा बाजार आयोग, बम्बई के अध्यक्ष का पदभार त्याग दिया है।

2. अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 की धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा नागरिक पूर्ति विभाग, नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में संयुक्त सचिव श्री अशोक कपूर, भारतीय प्रशासनिक सेवा (पश्चिम बंगाल-67) को वायदा बाजार आयोग का सदस्य नियुक्त करते हैं और साथ ही उन्हें उनकी वर्तमान ड्यूटियों के अतिरिक्त 21 नवम्बर, 1995 के पूर्वाह्न से 31 दिसम्बर, 1995 तक अथवा वायदा बाजार आयोग, बम्बई के अध्यक्ष के पद पर किसी नियमित अधिकारी के नियुक्त होने तक, जो भी पहले हो, वायदा बाजार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नामित करती है।

[मिसिल सं. ए-12011/2/95-प्रशा. II]

आर. के. सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION

New Delhi, the 1st January, 1996

S.O. 471.—Shri Surjit Banerjee, IAS (UP-72) relinquished the charge of the post of Chairman of the Forward Markets Commission, Bombay on the afternoon of 20th November, 1995.

2. In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 3 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952, the Central Government hereby appoints Shri Ashok Kapur, IAS (WB-67), Joint Secretary in the Department of Civil Supplies (Ministry of Civil Supplies, Consumer Affairs and Public Distribution) as Member of the Forward Markets Commission and also nominates him to be the Chairman of the Commission with effect from the forenoon of 21st November, 1995 in addition to his present duties upto 31st December, 1995 or till the appointment of a regular officer for the post of Chairman, Forward Markets Commission, Bombay, whichever is earlier.

[File No. A-12011/2/95-Estt. II]

R. K. SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 2 जनवरी, 1996

का.आ. 472—श्री अशोक कपूर, भारतीय प्रशासनिक सेवा (पश्चिम बंगाल : 67) ने 3 दिसम्बर, 1995 अपराह्न को वायदा बाजार आयोग, बम्बई के सदस्य एवं अध्यक्ष के पद का प्रभार त्याग दिया है।

2. अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 की धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री वी.के. अग्रवाल, भारतीय प्रशासनिक सेवा (महाराष्ट्र : 73) को 4 दिसम्बर, 1995 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक वायदा बाजार आयोग के सदस्य के रूप में तथा साथ ही आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी नामित करती है।

[मि.सं. ए-12011/2/95—प्रशा.-2]

आर. के. सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 2nd January, 1996

S.O. 472.—Shri Ashok Kapur, IAS (WB : 67) relinquished the charge of the post of Member as well as Chairman of the Forward Markets Commission, Bombay on the afternoon of 3rd December, 1995.

2. In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 3 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952, the Central Government hereby appoints Shri V. K. Aggarwal, IAS (MR : 73) as Member of the Forward Markets Commission and also nominates him to be the Chairman of the Commission with effect from the forenoon on 4th December, 1995 until further orders.

[File No. A-12011/2/95-Estt. II]

R. K. SINGH, Under Secy.

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 1996

का. आ. 473 :—यतः पैट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस अधिसूचना का. आ. सं. 508 तारीख 25-2-95 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय गैस अथारिटी आफ इंडिया लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

पाद अनुसूची

उत्तर प्रदेश पेट्रोकेमिकल्स प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	मौजा	गाटा सं.	अर्जित क्षेत्र.	अन्य
1	2	3	4	5	6	7
इटावा	औरैया	औरैया	आराजी दरगाह फफूंद	391	0.02	
				392	0.28	
				394	0.05	
				395	0.10	
				396	0.10	
				401	0.02	
				402	0.20	
				566	0.72	
				568	0.04	
				569	0.07	
				588	0.04	
				589	0.21	
				590	0.02	
				591	0.12	
				592	0.03	
				594	0.02	
				626	0.18	
				627	0.29	
				630	0.20	
				629	0.16	
				707	0.04	
				748	0.02	
				822	0.04	
				828	0.02	
				831	0.02	
				838	0.05	
				839	0.25	
				829	0.03	
				830	0.35	
				842	0.05	
				843	0.15	
				844	0.32	
				845	0.14	
				841	0.04	
				854	0.05	
				855/1	0.04	
				833	0.17	
				877	0.07	
				882	0.24	
				880	0.03	
				886	0.19	
				931	0.03	

1	2	3	4	5	6	7
			आराजी	932	0.54	
			दरगाह	933	0.08	
			फफूंद	934	0.08	
				939	0.45	
				1040	0.04	
				1102	0.04	
				1104	0.03	
				1105	0.55	
				1117	0.27	
				1118	0.19	
				1123	0.19	
				1125	0.34	
				1129	0.02	
				1896	0.36	
				1897	0.27	
				1902	0.04	
				1904	0.02	
				1905	0.26	
				1906	0.01	
				1907	0.06	
				1908	0.02	
				1909	0.09	
				1924	0.02	
				2000	0.04	
				2001	0.04	
				2003	0.02	
				2004	0.02	
				2005	0.29	
				2011	0.17	
				2012	0.22	
				2013/1	0.04	
				2014	0.80	
				2015	0.02	
				2022	0.04	
				2035	0.04	
				2038	0.04	
				2039	0.02	
				2040	0.04	
				2041	0.20	
				2042	0.15	
				2043	0.05	
				2049	0.06	
				2050	0.02	
				2051	0.06	
				2054	0.20	
				2180	0.07	

1	2	3	4	5	6	7
			आराजी	2181	0.12	
			दरगाह	2182	0.66	
			फफूंद	2183/घ	0.10	
				2184	0.03	
				2185	0.12	
				2186	0.14	
				2220/2011	0.03	
				2214/877	0.03	
			कुल योग	96	13.06	एकड़

[सं. एल – 14016/17/94 – जी. पी.]

अर्धेन्दु सेन, निदेशक

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

New Delhi, the 1st February, 1996

S.O. 473 .—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 508 dated 25-2-95 under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section(1)of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government.

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declare that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notifictaion hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited free from encumbrances.

SCHEDULE

UTTAR PRADESH PETROCHEMICAL PROJECT

District	Tehsil	Paragana	Village	Plot No.	Acquired Area in	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
Etwaha	Auriya	Auriya	Aaragi Dargah Phaphund	391	0.02	
				392	0.28	
				394	0.05	
				395	0.10	
				396	0.10	
				401	0.02	
				402	0.20	
				566	0.72	
				568	0.04	
				569	0.07	
				588	0.04	
				589	0.21	
				590	0.02	
				591	0.12	
				592	0.03	
				594	0.02	
				626	0.18	

1	2	3	4	5	6	7
				627	0.29	
				630	0.20	
				707	0.04	
				748	0.02	
				822	0.04	
				828	0.02	
				831	0.02	
				838	0.05	
				839	0.25	
				829	0.03	
				830	0.35	
				842	0.05	
				843	0.15	
				844	0.32	
				629	0.16	
				845	0.14	
				841	0.04	
				854	0.05	
				855/1	0.04	
				883	0.17	
				877	0.07	
				882	0.24	
				880	0.03	
				886	0.19	
				931	0.03	
				932	0.54	
				933	0.08	
				934	0.08	
				939	0.45	
				1040	0.04	
				1102	0.04	
				1104	0.03	
				1105	0.55	
				1117	0.27	
				1118	0.19	
				1123	0.19	
				1125	0.34	
				1129	0.02	
				1896	0.36	
				1897	0.27	
				1902	0.04	
				1904	0.02	
				1905	0.26	
				1906	0.01	
				1907	0.06	
				1908	0.02	
				1909	0.09	
				1924	0.02	
				2000	0.04	
				2001	0.04	
				2003	0.02	
				2004	0.02	
				2005	0.29	
				2011	0.17	
				2012	0.22	
				2013/1	0.04	
				2014	0.80	
				2015	0.02	
				2022	0.04	
				2035	0.04	
				2038	0.04	
				2039	0.02	
				2040	0.04	
				2041	0.20	
				2042	0.15	
				2043	0.05	

1	2	3	4	5	6	7
				2049	0.06	
				2050	0.02	
				2051	0.06	
				2054	0.20	
				2180	0.07	
				2181	0.12	
				2182	0.66	
				2183/Gha	0.10	
				2184	0.03	
				2185	0.12	
				2186	0.14	
				2220/2011	0.03	
				2214/877	0.03	
			Grand Total	96	13.06Area	

[No. L-14016/17/94-G.P.]

ARDHENDU SEN, Director.

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 1996

का.आ. 474—भारत का राजपत्र दिनांक, 27-11-93 पृष्ठ संख्या 3645, 3646 पर प्रकाशित भारत सरकार के पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की खनिज पाइप लाइन के (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उप धारा (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना संख्या का.आ. 2551 दिनांक 9-11-95 ग्राम-वैसुन्धरा, जनपद-इटावा की प्रकाशित सूची के स्तम्भ 2 व 3 में तहसील व परगना-विधूना के स्थान पर तहसील व परगना-औरैया पढ़ा जाये।

[संख्या एल-14016/17/94—जी.पी.]

अर्धेन्दु सेन, निदेशक

CORRIGENDUM

New Delhi, the 1st February, 1996

S.O. 474.—In the Gazette of India, Ministry of Petroleum and Natural Gas No. S.O. 2551 dated 09-11-93 published on 27-11-93 at pages 3645, 3646 Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum & Mineral Pipeline (Acquisition of Right of Users in Land) Act, 1962 (50 of 1962) of village Vaisundhara, Distt. Itawa, in columns 2 and 3 be read as Tehsil and Pargana Auraiya instead of Tehsil and Pargana Vidhuna

[No. L-14016/17/94 G.P.]
ARDHENDU SEN, Director

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 1996

का.आ. 475—भारत का राजपत्र दिनांक 10-6-95 पृष्ठ संख्या 2184, 2185 पर प्रकाशित भारत सरकार के पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की खनिज पाइप लाइन के (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गयी अधिसूचना संख्या का.आ. 1594 दिनांक 26-5-95 ग्राम-वसुन्धरा, जनपद-इटावा को प्रकाशित सूची के स्तम्भ 2 व 3 में तहसील व परगना-विधूना के स्थान पर तहसील व परगना-औरैया पढ़ा जाये।

[संख्या एल-14016/17/94—जी.पी.]

अर्धेन्दु सेन, निदेशक

CORRIGENDUM

New Delhi, the 1st February, 1996

S.O. 475.—In the Govt. of India Gazette Ministry of Petroleum and Natural Gas No. S.O. 1594 dated 26-05-95 published on 10-06-95 at pages 2184 and 2185 sub-section (1) of section 6 of the Petroleum & Mineral Pipeline (Acquisition of Right of Users in Land) Act, 1962 (50 of 1962) of village Vaisundhara, District Etawah, in columns 2 and 3 to read as Tehsil and Pargana Auraiya instead of Tehsil and Pargana Vidhuna.

[No. L-14016/17/94 G.P.]

ARDHENDU SEN, Director

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 1996

का.आ. 476—भारत का राजपत्र दिनांक, 25-2-95 के पृष्ठ संख्या 602, 604, 605 तथा 606 पर प्रकाशित भारत सरकार के पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की खनिज पाइप लाइन के (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना संख्या का.आ. 508 दिनांक 11-2-95 ग्राम-फफूंद आराजी दरगाह, परगना व तहसील—औरैया, जिला—इटावा

में प्रकाशित सूची के स्तम्भ 5 व 6 में निम्न प्रकार पढ़ा जाये।

पूर्व प्रकाशित		शुद्ध पढ़ा जाये	
गाटा संख्या	क्षेत्रफल	गाटा संख्या	क्षेत्रफल
828	0.49	828	0.02
838	0.20	838	0.05
845	0.08	845	0.14
		830	0.35
		883	0.17
882	0.32	882	0.24
		839	0.25
—	—	829	0.03

[संख्या एल-14016/17/94-जी.पी.]

अर्धेन्दु सेन, निदेशक

CORRIGENDUM

New Delhi, the 1st February, 1996

S.O. 476.—In the Govt. of India Gazette Ministry of Petroleum and Natural Gas No. S.O. 503 dated 11-2-95 published on 25-2-95 at Page No. 602, 604, 605, and 606 sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in Land) Act 1962 (50 of 1962) of Village Phaphund Arazi Dargah Pargana Auraiya, Tahsil Auraiya Distt. Itawah, in column 5 & 6 be read as follows:

Published		To be Published	
Plot No.	Area	Plot No.	Area
828	0.49	828	0.02
838	0.20	838	0.05
845	0.08	845	0.14
882	0.32	882	0.24
		829	0.03
		830	0.35
		839	0.25
		883	0.17

[No.L—14016/17/94—G.P.]

ARDHENDU SEN, Director

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 1996

का. आ. 477—केन्द्रीय सरकार, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 2) की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् से परामर्श के पश्चात निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में,

(1) कलकत्ता विश्वविद्यालय के सामने—

(i) "मान्यता प्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता" स्तंभ में "डिप्लोमा इन ट्रोपीकल मेडिसिन एंड हाईजीन" प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"डाक्टर आफ मेडिसिन (विकिरण चिकित्सा)

डाक्टर आफ मेडिसिन (न्याय संबंधी आयुर्विज्ञान)"

(ii) "रजिस्ट्रीकरण के लिए" संक्षेपाक्षर स्तंभ में — "डीटीएमएंडएच" प्रविष्टि के पश्चात निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात् —

"एम. डी. (विकिरण चिकित्सा)

(यह एक मान्यता प्राप्त अर्हता तब होगी जब 1973 का या उसके पश्चात प्रदान की गई थी)

एम. डी. (न्याय आयुर्विज्ञान)

(यह एक मान्यता प्राप्त अर्हता तब होगी जब 1977 को या उसके पश्चात् प्रदान की गई थी)।"

(2) "जम्मू विश्वविद्यालय" के सामने—

(i) 'मान्यता प्राप्त आयुर्विज्ञान' अर्हता स्तंभ में डाक्टर आफ मेडिसिन "विकिरण निदान प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"डाक्टर आफ मेडिसिन (सामान्य आयुर्विज्ञान)

डाक्टर आफ मेडिसिन (नेत्र विज्ञान)

डाक्टर आफ मेडिसिन (संवेदनाहरण विज्ञान)

डाक्टर आफ मेडिसिन (शरीर क्रिया विज्ञान)"

(ii) "रजिस्ट्रीकरण के लिए संक्षेपाक्षर" स्तम्भ में, "एम.डी. (विकिरण निदान)" प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"एम. डी. (सामान्य आयुर्विज्ञान)"

(यह मान्यता प्राप्त अर्हता तभी होगी जब यह जनवरी, 1979 को या उसके पश्चात् प्रदान की गई हो)।

एम० एस० (नेत्र विज्ञान)

(वह एक मान्यता प्राप्त अर्हता तब होगी जब जनवरी, 1979 को या उसके पश्चात् प्रदान की गई थी)।

एम० डी० (शरीर क्रिया विज्ञान)

(यह एक मान्यता प्राप्त अर्हता तब होगी जब 12 फरवरी, 1980 को या उसके पश्चात प्रदान की गई थी)"।

(3) 'डाक्टर एम० जी० आर० आयुर्विज्ञान वि० विद्यालय' के सामने —

(i) मान्यता प्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता स्तंभ में, "मजिस्ट्रार चिरुर्जी (शल्य अर्बुद विज्ञान)" प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात् —

"डाक्टर आफ मेडिसिन (रुमेटोलॉजी) मास्टर आफ सर्जरी (वाहिकामय शल्य विज्ञान)"

(ii) "रजिस्ट्रीकरण के लिए संक्षेपाक्षर" स्तंभ मे "एम० सी०एच० (शल्य अर्बुद विज्ञान) प्रविष्टि के पश्चात निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात् "डी० एम० (हमेटोलॉजी)"

(यह एक मान्यताप्राप्त अर्हता तब होगी जब 2 जनवरी, 1992 को उसके पश्चात् प्रदान की गई थी)।

एच० सी एच० (वाहिकामय शल्य विज्ञान)

एम० एस० (वाहिकामय शल्य विज्ञान)

(यह एक मान्यता प्राप्त अर्हता तब होगी जब 1994 को या उसके पश्चात् प्रदान की गई थी)"।

(4) "गुलबर्गा विश्वविद्यालय" के सामने-(1) "मान्यता प्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता "स्तंभ में मास्टर आफ सर्जरी (नेत्र विज्ञान)" के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात् —

"डाक्टर आफ मेडिसिन (त्वचा विज्ञान) डिप्लोमा इन ड्रामाटोलॉजी, डाक्टर आफ मेडिसिन (न्याय संबंधी आयुर्विज्ञान)" ।

(ii) रजिस्ट्रीकरण के लिए संक्षेपाकर स्तंभ में "एम० एस० (नेत्र विज्ञान) प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात् —

"एम० डी० (त्वचाविज्ञान)

(यह एक मान्यताप्राप्त अर्हता तब होगी जब 3 मार्च, 1989 को या उसके पश्चात् प्रदान की गई थी)।

डी० डी०

(यह एक मान्यताप्राप्त अर्हता तब होगी जब 3 मार्च, 1980 को या उसके पश्चात् प्रदान की गई थी)" ।

एम०डी० (न्याय आयुर्विज्ञान)

(यह एक मान्यताप्राप्त अर्हता तब होगी जब 1980 को या उसके पश्चात् प्रदान की गई थी)"

(5) "महात्मा गांधी विश्वविद्यालय" के सामने—

(i) "मान्यता प्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता" स्तंभ में "डिप्लोमा इन चाइल्ड हैल्थ" प्रविष्टि के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात् —

"मास्टर आफ सर्जरी (कर्ण नासा कंठ)
डिप्लोमा इन लरिन्गो रेनोलॉजी (कर्ण नासा कठं)
मास्टर आफ सर्जरी (सामान्य शल्य विज्ञान)"

(ii) "रजिस्ट्रीकरण के लिए संक्षेपाक्षर "स्तंभ में डी० सी० एच०" एवं प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात् —

"एम० एस० (कर्ण नासा कंठ)

(यह एक मान्यताप्राप्त अर्हता तब होगी जब 8 अक्तूबर, 1982 को या उसके पश्चात् प्रदान की गई थी)

एम० एस० (सामान्य शल्य विज्ञान)

(यह एक मान्यताप्राप्त अर्हता तब होगी जब 1972 को या उसके पश्चात् की गई थी।"

(6) "सौराष्ट्र विश्वविद्यालय" के सामने,—

(i) "मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता" स्तंभ में "मास्टर आफ सर्जरी (विकलांग विद्या) प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात्:— "डिप्लोमा इन आपथालमोलाजी",

(ii) "रजिस्ट्रीकरण के लिए संक्षेपाक्षर" स्तंभ में एम. एस. (विकलांग विद्या)", प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

"डी ओ.

(यह एक मान्यताप्राप्त अर्हता तब होगी जब 1987 को या उसके पश्चात् प्रदान की गई थी)"

(7) "संजय गांधी स्नातकोत्तर संस्थान लखनऊ" के सामने,

(i) "मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता स्तंभ" में, "मजिस्ट्रार चिरूर्जो (तंत्रिका शल्य विज्ञान)" प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

"डाक्टर आफ मेडिसिन (जठरान्त्र रोगविज्ञान) मजिस्ट्रार चिरूर्जी (तंत्रिका शल्य विज्ञान)"

(ii) "रजिस्ट्रीकरण के लिए संक्षेपाक्षर" स्तंभ में, "एम. सी. एच. (तंत्रिका शल्य विज्ञान) प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात् "डी. एम. (जठरान्त्र रोगज्ञान)

(यह एक मान्यताप्राप्त अर्हता तब होगी जब 1 नवम्बर 1991 को या उसके पश्चात् प्रदान की गई थी।)"
एम. सी. एच. (तंत्रिका शल्य विज्ञान)
(यह एक मान्यताप्राप्त अर्हता तब होगी जब 12 मई, 1992 को या उसके पश्चात् प्रदान की गई थी)"

(8) "मणिपुर विश्वविद्यालय" के सामने:—

(i) "मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता, स्तंभ में "डिप्लोमा इन मेडिकल रेडियो डाइग्नोसिस" प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात्:— "डिप्लोमा इन क्लीनिकल पैथोलाजी,

डाक्टर आफ मेडिसिन (प्रसूति-विज्ञान और स्त्रीरोग विज्ञान)" ।

(ii) "रजिस्ट्रीकरण के लिए संक्षेपाक्षर" स्तंभ में "डी. एम. आर. डी. प्रविष्टि के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

"डी. सी. पी.

(यह अर्हता एक मान्यताप्राप्त अर्हता तभी होगी जब यह 3 मार्च, 1989 को या उसके पश्चात् प्रदान की गई हो)

एम. डी. (प्रसूति -विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान)

(यह अर्हता एक मान्यताप्राप्त अर्हता तभी होगी जब यह 16 मई, 1988 को या उसके पश्चात् प्रदान की गई हो)"

(9) "मंगलौर विश्वविद्यालय" के सामने,—

(i) "मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता" स्तंभ में "डिप्लोमा इन मेडिकल डाइग्नोसिस" प्रविष्टि के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—
"मास्टर आफ सर्जरी (हृदय वक्ष शल्य विज्ञान)

(ii) "रजिस्ट्रीकरण के लिए संक्षेपाक्षर" स्तंभ में "डी. एम. आर. डी." प्रविष्टि के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

"एम. सी एच (हृदय वक्ष शल्य विज्ञान)

(यह अर्हता एक मान्यताप्राप्त अर्हता तभी होगी जब यह 30 जून 1980 को या उसके पश्चात् प्रदान की गई हो)

(10) "मेरठ विश्वविद्यालय के सामने,—

(i) "मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता "स्तंभ में,"मास्टर आफ सर्जरी" (विकलांग विद्या) प्रविष्टि के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाएगा अर्थात्:—
"मास्टर आफ सर्जरी (नेत्र विज्ञान)"

(ii) "रजिस्ट्रीकरण के लिए संक्षेपाक्षर" स्तंभ में, "एम. एस. (ने. वि.) प्रविष्टि के पश्चात निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

(यह अर्हता एक मान्यता प्राप्त अर्हता तभी होगी जब यह 1972 को या उसके पश्चात् प्रदान की गई हो)" ;

(11) "पांडिचेरी विश्वविद्यालय" के सामने:—

(i) "मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता" के स्तम्भ में" मास्टर आफ सर्जरी) जनन मूत्र/शल्य विज्ञान), प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात:—

"डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी ।
डाक्टर ऑफ मेडिसिन (विकिरण निदान)
डाक्टर ऑफ मेडिसिन (शरीर क्रिया विज्ञान); "

(ii) "रजिस्ट्रीकरण के लिए संक्षेपाक्षर" स्तम्भ में, (सहायक) "एम सी एच (जनन मूत्र शल्य विज्ञान), प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात :—
"डी लेप

(यह अर्हता एक मान्यता प्राप्त अर्हता तभी होगी जब यह 1990 को या उसके पश्चात प्रदान की गई हो)

एम. डी. (विकिरण निदान)

(यह अर्हता एक मान्यता प्राप्त अर्हता तभी होगी जब यह 14 अप्रैल, 1981 को या उसके पश्चात् प्रदान की गई हो)

एम. डी. (शरीर क्रिया विज्ञान)

(यह अर्हता एक मान्यता प्राप्त अर्हता तभी होगी जब यह 1986 को या उसके पश्चात् प्रदान की गई हो) ;

(12) "गोवा विश्वविद्यालय" के सामने;

(i) "मान्यता प्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता" स्तंभ में, "बैचलर ऑफ मेडिसिन एण्ड बैचलर ऑफ सर्जरी "प्रविष्टि के पश्चात, निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात् —

"मास्टर ऑफ सर्जरी (शरीर रचना विज्ञान),

(ii) "रजिस्ट्रीकरण के लिए संक्षेपाक्षर, "स्तम्भ में", एम. बी. बी. एस." प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात् —

"एम. एस. (शरीर रचना विज्ञान)

(यह अर्हता एक मान्यता प्राप्त तभी होगी जब यह 31 अगस्त, 1970 को या उसके पश्चात् प्रदान की गई हो) " ;

(13) "लखनऊ विश्वविद्यालय" के सामने;

(i) "मान्यता प्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता" स्तम्भ में, डाक्टर आफ मेडिसिन (हृदय रोग)", प्रविष्ट के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाएगा अर्थात :—
"डाक्टर ऑफ मेडिसिन (विकिरण चिकित्सा) ;

(ii) "रजिस्ट्रीकरण के लिए संक्षेपाक्षर" स्तम्भ में, डी. एम. (हृदय रोग) प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात् —

"एम. डी (विकिरण चिकित्सा)

(यह अर्हता एक मान्यता प्राप्त अर्हता तभी होगी जब यह 1986 को या उसके पश्चात प्रदान की गई हो)

(14) "मणिपुर उच्चतर शिक्षा अकादमी" के सामने,

(i) मान्यता प्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता" स्तम्भ में, डिप्लोमा इन मेडिकल रेडियो डाइग्नोसिस"प्रविष्टि के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाएगा अर्थात् :—
"मजिस्ट्रार चिकित्सा (हृदय वक्ष शल्य विज्ञान)

(ii) "रजिस्ट्रीकरण के लिए संक्षेपाक्षर "स्तम्भ में, "डी. एम. आर. डी." "प्रविष्टि के पश्चात, निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात् —

"एम. सी. एच. (हृदय वक्ष शल्य विज्ञान)

(यह अर्हता एक मान्यता प्राप्त अर्हता तभी होगी जब यह 1980 को या उसके पश्चात् प्रदान की गई हो)

(15) "उत्तरी बंगाल विश्वविद्यालय, सिलीगुड़ी' संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् —

विश्वविद्यालय या आयु-विज्ञान संस्थान	मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता	रजिस्ट्रार के लिए रजिस्ट्रीकरण
"निजाम आयुर्विज्ञान संस्थान	डाक्टर आफ मेडिसिन (विकृति विज्ञान)	एम. डी. (विकृति विज्ञान) (यह अर्हता एक मान्यताप्राप्त अर्हता तभी होगी जब यह 1 नवम्बर, 1994 को या उसके पश्चात् प्रदान की गई हो।)
	मजिस्ट्रार चिरूरजी (तंत्रिका शल्य विज्ञान)	एम. सी.एच. (तंत्रिका शल्य विज्ञान) (यह अर्हता एक मान्यताप्राप्त अर्हता तभी होगी जब यह 1 नवम्बर, 1994 को या उसके पश्चात् प्रदान की गई हो।)"

[सं. वी. 11015/7/95-एम. ई. (यू. जी.)]

एस. के. मिश्र, डैस्क अधिकारी

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

(Department of Health)

New Delhi, the 29th January, 1996

S.O. 477.— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 11 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Central Government after consulting the Medical Council of India makes the following further amendments, namely :—

In the said Act, in the First Schedule,

(1) against the "University of Calcutta",

(i) in column 'Recognised medical qualification', after the entry "Diploma in Tropical Medicine and Hygiene", the following shall be added, namely :—

"Doctor of Medicine (Radio-Therapy)
Doctor of Medicine (Forensic Medicine)".

(ii) in column 'Abbreviation for registration', after the entry "D.T.M&H", the following shall be added, namely :—

"M. D. (Radiotherapy)

(This shall be a recognised qualification only when granted on or after 1973.)

M. D. (Forensic Medicine)

(This shall be a recognised qualification only when granted on oralter 1977.)"

(2) against the 'Jammu University',

(i) in column 'Recognised Medical Qualification', after the entry "Doctor of Medicine (Radio-diagnosis), the following shall be added, namely :—

"Doctor of Medicine (General Medicine)

Master of Surgery (Ophthalmology)

Doctor of Medicine (Anaesthesiology)

Doctor of Medicine (Physiology)".

(ii) in column 'Abbreviation for registration', after the entry "M. D. (Radio-Diagnosis)", the following shall be added, namely :—

"M. D. (General Medicine)".

(This shall be a recognised qualification only when granted on or after January, 1979.)

M. S. (Ophthalmology)

(This shall be a recognised qualification only when granted on or after January, 1979.)

M.D. (Anaesthesiology)

(This shall be a recognised qualification only when granted on or after 1982.)

M. D. (Physiology)

(This shall be a recognised qualification only when granted on or after February, 1980.)"

(3) against 'Dr. M.G.R. Medical University',

(i) in column 'Recognised medical qualification, after the entry "Magistrar Chirurgiae (Surgical Oncology)", the following shall be added, namely :—

"Doctor of Medicine (Rheumatology)

Magistrar Chirurgiae (Vascular Surgery)".

(ii) in column 'Abbreviation for registration' after the entry "M. Ch. (Surgical Oncology)" the following shall be added, namely :—

"D. M. (Rheumatology)"

(This shall be a recognised qualification only when granted on or after 1984.)"

M. Ch. (Vascular surgery)

(This shall be a recognised qualification only when granted on or after 1984.)"

4. against the 'Gulbarga University'

(i) in column Recognised medical qualification, after the entry "Master of surgery (Ophthalmology)", the following shall be added, namely :—

"Doctor of Medicine (Dermatology),
Diploma in Dermatology,
Doctor of Medicine (Forensic Medicine)"

(ii) in column 'Abbreviation for registration', after the entry "M.S. (Ophth.)", the following shall be added namely :—

"M. D. (Dermatology).

(This shall be a recognised qualification only when granted on or after 3rd March, 1989).

D.D.

(This shall be a recognised qualification only when granted on or after 3rd March, 1989).

M.D. (Forensic Medicine).

(This shall be a recognised qualification only when granted on or after 1980)."

(5) against the 'Mahatma Gandhi University',

(i) in column 'Recognised medical qualification', after the entry "Diploma in Child Health", the following shall be added, namely :—

"Master of Surgery (ENT),

Diploma in Otorhenolaryngology (ENT)

Master of Surgery (General Surgery)".

(ii) in column 'Abbreviation for registration' after the entry, "D.C.H.", the following shall be added, namely :—

"M. S. (ENT)

(This shall be a recognised qualification only when granted on or after October 8, 1982.)

D.L.O. (ENT)

(This shall be a recognised qualification only when granted on or after 8th October, 1982).

M. S. (General Surgery)

(This shall be a recognised qualification only when granted on or after 1972.)"

6. against the 'Saurashtra University.

(i) in column 'Recognised medical qualification', after the entry "Master of Surgery (Orthopaedics). the following shall be added, namely :—

"Diploma in Ophthalmology".

(ii) in column, 'Abbreviation for registration', after the entry "M. S. (Orthopaedics)", the following shall be added, namely :—

"D.O.

(This shall be a recognised qualification only when granted on or after 1987)."

7 against the "Sanjay Gandhi post Graduate Institute, Lucknow,',

(i) in column 'Recognised medical qualification', after the entry "Magistrar Chirurgiae (Neuro-Surgery)", the following shall be added, namely :—

"Doctor of Medicine (Dermatology),

Magistrate Chirugiae (Neuro-Surgery)".

(ii) in column 'Abbreviation for registration', after the entry 'M.Ch. (Neuro-Surgery), the following shall be added, namely :—

"D.M. (Gastroenterology),

(This shall be a recognised qualification only when granted on or after 1st November, 1991).

M.Ch. (Neuro-Surgery)

(This shall be a recognised qualification only when granted on or after 12th May, 1992)."

8. against the 'Manipur University'.

(i) in column, 'Recognised medical qualification, after the entry 'Diploma in medicine (Radio-Diagnosis)', the following shall be added, namely :—

"Diploma in Clinical pathology, Doctor of Medicine (Obstetrics & Gynaecology)"

(ii) in column Abbreviation for registration', after the entry 'D.M.R.D.', the following shall be added, namely :—

"D.C.P.

(This shall be a recognised qualification only when granted on or after 3rd March, 1989.)

M.D. (Obst. and Gynae.)

(This shall be a recognised qualification only when granted on or after 1th May, 1988.)"

9. against the 'Mangalore University',

(i) in column 'Recognised Medical qualification', after the entry 'Diploma in Medical Diagnosis', the following shall be added, namely :—

"Magistrate Chirugiae. (Cardiotholracic Surgery"

(ii) in column 'Abbreviation for registration, after the entry 'D.M.R.D.', the following shall be added, namely :—

"M.Ch. (Cardiothoracic Surgery)

(This shall be a recognised qualification only when granted on or after 30th June, 1980.)"

10. against the "Meerut University",

(i) in column 'Recognised medical qualification', after the entry 'Master of Surgery (Orthopaedics)', the following shall be added, namely :—

"Master of Surgery 'Ophthalmology)"

(ii) in column 'Abbreviation for registration', after the entry "M.S. (Ortho)"; the following shall be added, namely :—

"M.S. (Ophthalmology)"

(This shall be a recognised qualification only when granted on or after 1972.)"

11. against the 'Pondicherry University,

(i) in column 'Recognised medical qualification', after the entry 'Master of Surgery (Genito-Urinary Surgery), the following shall be added, namely :—

"Diploma in Leprosy

Doctor of Medicine (Radio Diagnosis)

Doctor of Medicine (Physiology)"

(ii) in column 'Abbreviaion for registration', after the entry 'M.Ch. (Genito Urinary Surgery), the following shall be added, namely :—

'D.Lep.

(This shall be a recognised qualification only when granted on or after 1990.)

M.D. (Radio-Diagnosis)

(This shall be a recognised qualification only when granted on or after 14th April, 1981.)

M.D. (Physiology)

(This shall be a recognised qualification only when granted on or after 1986)

12. against the 'Goa University,

(i) in column 'Recognised medical qualification', after the enry 'Bachelor of medicine and Bachelor of Surgery, the following shall be added, namely :—

"Master of Surgery (Anatomy)"

(ii) in column 'Abbreviation for registration', after the entry "M.B.B.S.", the following shall be added, namely :—

"M.S. (Anatomy)

(This shall be a recognised medical qualification only when granted on or after 31st August, 1970.)"

13. against the 'Lucknow University',

(i) in column 'Recognised medical qualification', after the entry "Doctor of Medicine (Cardiology)", the following shall be added, namely :—

"Doctor of Medicine (Radio-therapy)"

(ii) in column 'Abbreviation for registration', after the entry, "D.M. (Cardiology", the following shall be added, namely :—

"M.D. (Radio-therapy)

(This shall be a recognised qualification only when granted on or after 1986.)"

14. against the 'Manipal Academy of Higher Education'.

(i) in column 'Recognised medical qualification', after the entry "Diploma in Medical Radio Diagnosis", the following shall be added, namely :—

'Magistrar Chirurgiae (Cardiothoracic Surgery)"

(ii) in column 'Abbreviation for registration', after the entry "D.M.R.D.", the following shall be added, namely :—

'M.Ch. (Cardiothoracic Surgery)

(This shall be a recognised qualification only when granted on or after 1980.)"

15. after the entries relating to the "North Bengal University, Siliguri", the following entries shall be inserted, namely:—

University or Medical Institution	Recognised Medical qualification	Abbreviation for registration
"Nizam Institute of Medical Sciences, Hyderabad	Doctor of Medicine (Pathology)	M.D. (Pathology) (This shall be a recognised qualification only when granted on or after 1st November, 1994).
	Magistrar Chirurgiae (Neuro-Surgery)	M.Ch. (Neuro-Surgery) (This shall be a recognised qualification only when granted on or after 1st November, 1994).

[No.V.11015/7/95 -ME(UG)]
S. K. MISHRA, Desk Officer

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय

(नागर विमानन विभाग)

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 1996

का.आ. 478 :—केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग), नियम, 1976 के नियम 10 के उपनियम (4) के अनुसरण में, नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्रालय (नागर विमानन विभाग) के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन निम्नलिखित कार्यालयों को, जिनके कर्मचारी-वृन्द ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है।

I. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (राष्ट्रीय विमानपत्तन प्रभाग)

1. कालीकट हवाई अड्डा, कालीकट ।

II. इंडियन एयरलाइन्स लिमिटेड

1. इंडियन एयरलाइन्स, कालीकट स्टेशन, दक्षिणी क्षेत्र।
2. इंडियन एयरलाइन्स, कोच्चि स्टेशन, दक्षिणी क्षेत्र।

[संख्या ई-11011/8/95-हिन्दी]
रघुनाथ सहाय, निदेशक (राजभाषा)

MINISTRY OF CIVIL AVIATION & TOURISM
(Department of Civil Aviation)

New Delhi, the 2nd February, 1996

S.O. 478.—In pursuance of Sub-Rule (4) of Rule 10 of the Official Languages (Use for the Official Purposes of the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notifies the following offices under the administrative control of Ministry of Civil Aviation and Tourism (Department of Civil Aviation), the staff of which have acquired the working knowledge of Hindi.

I. Airports Authority of India (National Airports Division):
1. Calicut Airport, Calicut.

II. Indian Airlines Limited :
1. Indian Airlines, Calicut Station, Southern Region.
2. Indian Airlines, Cochin Station, Southern Region.

[No. E-11011/8/95-Hindi]
RAGHUNATH SAHAI, Director (O.L.)

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 1996

का.आ. 479 :—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार मेवाड आंचलिक ग्रामीण बैंक के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, जयपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 25-1-96 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-12012/18/88-आईआरबीआई]
पी.जे. माईकल, डैस्क अधिकारी

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 30th January, 1996

S.O. 479.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publises the Award of the Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Mewad Anchalik Gramin Bank and their workmen, which was received by the Central Government on the 25-1-1996.

[No. L-12012/18/88-IR (B-I)]
P. J. MICHAEL, Desk Officer

अनुबंध

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर।

केस नं. सी.आई.टी. 12/1992

रैफरैंस : केन्द्र सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना क्रमांक 12012/18/88-डी-I (ए)/आई. आर बी-III दिनांक 7-7-92

श्री गोपेश मोहन शर्मा पुत्र श्री कल्याण लाल शर्मा मार्फत सचिव, ग्रामीण बैंक एम्पलाईज यूनियन (यूनिट उदयपुर)।

—प्रार्थी

बनाम

1. अध्यक्ष, मेवाड़ आंचलिक ग्रामीण बैंक, मकान नं. 142, अलकापुरी, रानी रोड, उदयपुर।
2. मेवाड़ आंचलिक ग्रामीण बैंक, 122 शिवरानी हाऊस, अम्बामाता, उदयपुर।

—अप्रार्थी

उपस्थित

माननीय न्यायाधीश श्री के.एल. व्यास, आर. एच.जे.एम.

प्रार्थी की ओर से : श्री पी.के. शर्मा
अप्रार्थी की ओर से श्री आर.सी. जोशी
दिनांक : 8 अगस्त, 1995

अवार्ड

केन्द्र सरकार द्वारा निम्न विवाद अधिनिर्णय हेतु इस न्यायाधिकरण में निर्देशित किया गया है:

"Whether the action of the management of Mewar Aanchalik Gramin Bank is extending the period of probation of Shri Gopesh Mohan Sharma Branch Manager vide their letter No. MAGB/552/86 dated 4-2-86 is justified? If not to what relief the workman is entitled to ?"

2. प्रार्थी के क्लेम में वर्णित तथ्य सारांश में इस प्रकार है कि उसकी नियुक्ति विपक्षी संस्थान में अधिकारी के पद पर 31-12-83 को दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की थी व उस आदेश के परिणामस्वरूप उसने अपना कार्यभार 8-2-84 को संभाला था। प्रशिक्षण पश्चात उसकी नियुक्ति उदयपुर में गोर्धन विलास शाखा में की गई। बैंक रैगुलेशन्स के अनुसार दो वर्ष की अवधि पूरी होने पर सेवा में उसे स्थाई करने के स्थान पर उसकी परिवीक्षा अवधि 7-5-86 तक बढ़ा दी गई व इस कारण उस के साथ जो अन्य अधिकारीगण नियुक्त हुए थे उनकी तुलना में श्रमिक की वरिष्ठता सबसे नीचे कायम की गई। इस आदेश को श्रमिक ने इस आधार पर चुनौती दी है कि परिवीक्षा काल में उनका कार्य संतोषजनक रहा व उसकी शाखा में व्यवसाय में भी वृद्धि हुई। यह भी आक्षेप लगाया गया है कि श्रमिक की भांति अन्य अधिकारियों को भी परिवीक्षा अवधि में प्रबन्धक द्वारा कुछ नोटिस दिये गये थे किन्तु उनकी परिवीक्षा अवधि में वृद्धि नहीं की गई व इस प्रकार श्रमिक के साथ भेदभावपूर्ण नीति अपनाई गई इसका कारण यह था कि संबंधित समय श्रमिक अधिकारी एसोसिएशन का अध्यक्ष व मंत्री सचिव था तथा बैंक के चेयरमन उसकी इस गतिविधि से नाराज थे व इसी के परिणामस्वरूप श्रमिक को विक्टीमाईज करने के लिए उसकी परिवीक्षा अवधि में वृद्धि की गई। क्लेम में यह भी अभिकथित किया गया है कि श्रमिक का पदनाम अधिकारी का था किन्तु मुख्य रूप से उसका कार्य एक क्लर्क के रूप में था इसलिए वह औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत श्रमिक की परिभाषा में आता है। विवाद राज्य सरकार द्वारा संबंधित यूनियन द्वारा विवाद उत्पन्न पर निर्देशित किया गया था व क्लेम में श्रमिक ने यह भी अभिकथित किया है कि चूंकि उस यूनियन से प्रार्थी का संबंध बाद में समाप्त हो गया था इसलिए क्लेम उसके द्वारा व्यक्तिगत रूप में प्रस्तुत किया गया है। अनुतोष यह क्लेम किया गया है कि श्रमिक की परिवीक्षा अवधि में वृद्धि करने की कार्यवाही के परिणामस्वरूप उसे 7-5-86 से नौकरी में स्थाई करने के आदेश को अपास्त किया जाकर 8-2-86 से सेवा में स्थाई मानने की घोषणा की जावे व उसी के परिणामस्वरूप समंगत लाभ स्वीकृत किये जावें।

3. विपक्षी बैंक द्वारा अपने लिखित जवाब में प्रारंभिक आपत्तियां यह ली गई हैं कि श्रमिक द्वारा इसी विवाद के संबंध में समान अनुतोष के लिए माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका डी. बी. सिविल रिट पिटीशन सं. 3279/87 प्रस्तुत की गई थी जो विचाराधीन है इसलिए रस-जूडीकेटा के सिद्धान्त के आधार पर यह क्लेम सुनवाई योग्य नहीं है तथा बैंक रेगूलेशन्स, श्रमिक की नियुक्ति शर्तों व उसके कार्य की प्रकृति को देखते हुए यह औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत श्रमिक की परिभाषा में नहीं आता है। गुण दोष पर यह जवाब प्रस्तुत किया गया है कि श्रमिक की परिवीक्षा अवधि में वृद्धि बैंक के रेगूलेशन्स के अनुसार व नियुक्ति की शर्तों के अनुसार उचित कारण के आधार पर की गई थी तथा परिवीक्षा अवधि में श्रमिक के कार्य को व उसकी दक्षता का मूल्यांकन वस्तु परख रूप में किया जाकर ही यह निर्णय लिया गया था तथा प्रबन्धक अपने में क्षेत्राधिकार में इस प्रकार का विवेकपूर्ण निर्णय लेने के लिए सक्षम थे। उन तथ्यों का विवरण भी जवाब में दिया गया है जिनके आधार पर श्रमिक की परिवीक्षा अवधि बढ़ाई गई थी। इन तथ्यों को गलत बताया गया है कि ऐसोसियेशन के पदाधिकारी के रूप में बैंक के किसी अधिकारी ने श्रमिक प्रताड़ित या तंग करने के लिए कोई कार्यवाही की इसके अलावा यह अधिकथित किया गया है कि नियमानुसार परिवीक्षा अवधि में बढ़ोत्तरी करने की कार्यवाही किसी भी रूप में दण्ड की परिभाषा में नहीं आती है इसलिए इस प्रकार का आदेश पारित करने में पूर्व नसर्भिक न्याय के सिद्धान्तों की पालन करना व श्रमिक से स्पष्टीकरण प्राप्त करना आवश्यक नहीं था किन्तु उसकी कार्य प्रणाली में जो त्रुटियां थी उनके लिए समय-समय पर श्रमिक को नोटिस दिये गये थे। अन्य अधिकारियों को भी इस प्रकार के नोटिस देना स्वीकार किया गया है व यह बताया गया है कि उचित कारण से उनकी परिवीक्षा अवधि में वृद्धि नहीं की गई बैंक के संबंधित नियमों का भी जवाब में उल्लेख किया गया है जिनके अनुसार परिवीक्षा अवधि में वृद्धि की जा सकती है वह उस स्थिति में एक साथ नियुक्त अधिकारियों की तुलना में श्रमिक को

कनिष्ठतम मानने का प्रावधान है। एक प्रतिरक्षा यह ली गई है कि जिन नियमों के तहत परिवीक्षा अवधि में वृद्धि के कारण श्रमिक को अपने साथ नियुक्त अधिकारियों से कनिष्ठ माना गया है उस नियम को असंवैधानिक घोषित करवाये बिना श्रमिक कोई भी अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। परिवीक्षा अवधि में वृद्धि करने के निर्णय के खिलाफ श्रमिक द्वारा संचालक मण्डल को अपील प्रस्तुत करना तथा उस अपील को खारिज करने के तथ्य को भी जवाब में श्रमिक द्वारा क्लेम किये गये अनुतोष को खारिज करने का आधार बनाया गया है।

4. मौखिक साक्ष्य में श्रमिक की ओर से उसका स्वयं का शपथ पत्र व प्रबन्धक पक्ष की ओर से एक गवाह श्री भगवत सिंह मेहता का बयान करवाया गया है। श्रमिक ने अपनी ओर से प्रदर्श डब्ल्यू-1 से डब्ल्यू-16 प्रलेख प्रस्तुत किये हैं व इसके अलावा नियोजक की ओर से प्रदर्श एम 1 व एम-2 को साक्ष्य में प्रदर्शित करवाया गया है व कुछ अन्य प्रलेख की फोटो प्रतियां भी प्रस्तुत की गई हैं। बहस दोनों पक्षों की सुनी गई तथा उपलब्ध साक्ष्य, प्रलेख व दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत निर्णयों पर विचार किया गया।

5. सर्वप्रथम नियोजक की ओर से ली गई वैधानिक आपत्तियों पर विचार किया जाता है। श्रमिक ने अपने क्लेम में कोई भी रिट याचिका इस विवाद से संबंधित मामले में प्रस्तुत करने का अभिकथन प्रस्तुत नहीं किया है नियोजक के जवाब में जिस रिट याचिका को संदर्भित किया गया है उसे प्रस्तुत जो करने के तथ्य को बण्डल रीजोइण्डर के जरिये नहीं किया है। श्रमिक से जो जिरह की गई है उसमें उसने यह स्वीकार किया है कि 1988 में उसने उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका प्रस्तुत की थी जो नोटिस की तामील नहीं होने के कारण 1979 में खारिज हुई। यह भी श्रमिक ने स्वीकार किया है कि बैंक नियमों में परिवीक्षा अवधि में वृद्धि करने का जो प्रावधान है उसको रिट याचिका में चुनौती दी गई थी। श्रमिक का बयान होने के समय तक रिट याचिका विचाराधीन होने के तथ्य को जिरह में अस्वीकार किया गया है। श्रमिक का बयान न्यायाधिकरण में 4-3-95 को हुआ है। नियोजक की ओर से जो गवाह श्री भगवत सिंह मेहता प्रस्तुत हुए हैं उन्होंने अपने शपथ पत्र के पद सं. 4 में यह उल्लेख किया है कि रिट याचिका सं. 3279/87 के जरिये श्रमिक ने माननीय उच्च न्यायालय में प्रोबेशन से संबंधित नियमों को चुनौती दी थी। इसके अलावा उन्होंने इस संबंध में कोई भी तथ्य उल्लिखित नहीं किये हैं। श्रमिक के विद्वान प्रतिनिधि ने बहस के समय रिट याचिका की कार्बन प्रतिलिपि प्रस्तुत की है जिस पर कोई विवाद नियोजक की ओर से नहीं किया गया है। इस रिट याचिका के जरिये यह अनुतोष मांगा गया है कि मेवाड़ आंचलिक ग्रामीण बैंक (स्टाफ रैगुलेशन्स 1981) (जिसे तत्पश्चात् संक्षेप में रेगूलेशन्स संबोधित किया जायेगा) के उप नियम 3 के नियम 13 को असंवैधानिक घोषित किया जावे व उसी के अनुरूप याचिकाकर्ता व उसके साथ नियुक्त अन्य अधिकारियों की वरिष्ठता का निर्धारण करने का निर्देश विपक्षी बैंक को दिया जावे। रिट याचिका में वर्णित तथ्यों से यह स्पष्ट है कि जिस नियम के तहत श्रमिक की परिवीक्षा अवधि बढ़ाई गई थी उसकी संवैधानिकता को चुनौती प्रार्थी द्वारा दी गई थी। रिट याचिका की प्रति के साथ श्रमिक के विद्वान प्रतिनिधि द्वारा 30-11-90 के आदेश की फोटो प्रति प्रस्तुत की गई है जिसमें यह उल्लेख है कि याचिकाकर्ता द्वारा नोटिस व तलबाना प्रस्तुत नहीं किया गया इसलिए रिट याचिका को खारिज किया जाता है। इससे यह स्पष्ट है कि जो रिट याचिका श्रमिक द्वारा प्रस्तुत की गई थी उसका निस्तारण माननीय उच्च न्यायालय द्वारा गुण दोष पर नहीं किया गया था इसलिए सामान्य विधि सिद्धान्तों के अनुसार रिट याचिका के प्रस्तुत होने से व उसके खारिज होने से रैस जुडीकेटा के सिद्धान्त लागू नहीं होते। एक दूसरा दृष्टिकोण यह भी महत्वपूर्ण है कि रिट याचिका में मात्र संबंधित नियम की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है इसलिए यदि उस नियम के संबंध में गुण दोष पर कोई निर्णय पारित भी किया जाता तो भी यह विवाद रैसजुडीकेटा के सिद्धान्त से प्रभावित नहीं होता क्योंकि इस विवाद के जरिये यह विनिश्चय किया जाना है कि नियम के अस्तित्व में होने के बावजूद तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए श्रमिक की परिवीक्षा अवधि में वृद्धि करने का जो निर्णय प्रबन्धक द्वारा लिया गया है वह न्यायोचित है या नहीं? नियोजक के विद्वान प्रतिनिधि ने इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय सरगूजा ट्रांसपोर्ट सर्विस बनाम राज्य परिवहन अपील अधिकरण, ग्वालियर ए.आई.आर. 1987 (एस.सी.) 88 के निर्णय को संदर्भित किया है। इस निर्णय में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि किसी भी उच्च न्यायालय के समक्ष संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत प्रस्तुत रिट याचिका को दुबारा एक रिट याचिका प्रस्तुत करने की अनुमति प्राप्त किये बिना यदि प्रत्याहरित किया जाता है तो याचिकाकर्ता अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का उपयोग दुबारा नहीं कर सकता किन्तु यह भी प्रतिपादित किया गया है कि इस प्रकार के मामले में सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने अथवा अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका प्रस्तुत करने के लिए संबंधित प्रार्थी के मामले में रैस-जुडीकेटा के सिद्धान्त लागू नहीं होते। इस प्रकार जो विधि निर्णय नियोजक की ओर से प्रस्तुत किया गया है उसको व इस प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए यह विनिश्चय किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत रिट याचिका व उसके तकनीकी आधार पर खारिज होने व उसमें क्लेम किये गये अनुतोष की प्रकृति को देखते हुए यह विवाद रैस जुडीकेटा के सिद्धान्त से प्रभावित नहीं होता व न्यायाधिकरण अधिनिर्णय देने के लिए सक्षम है।

6. यह मान्य स्थिति है कि प्रार्थी की नियुक्ति विपक्षी बैंक में 3-12-83 के आदेश प्रदर्श डब्ल्यू-1 से अधिकारी पद

पर दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की गई थी । इस नियुक्ति आदेश में नियुक्ति की अन्य शर्तें व प्रार्थी से संबंधित बैंक के कर्तव्यों व जिम्मेदारियों का भी उल्लेख किया गया है । यह भी मान्य स्थिति है कि नियुक्ति के पश्चात् श्रमिक को 8-2-84 से 6-3-84 तक इन्डक्शन ट्रेनिंग दी गई थी। इसके अलावा 10-3-84 से 7-5-84 तक बैंक के प्रधान कार्यालय में व विभिन्न शाखाओं में जोब ट्रेनिंग दी गई थी। जैसा कि नियोजक के जवाब के पद सं. 3 में वर्णित किया गया है । इस तथ्य का किसी भी रूप में खण्डन श्रमिक ने नहीं किया है व न ही इस पर कोई विवाद है । इसके आगे यह भी मान्य स्थिति है कि 15-5-84 से श्रमिक की नियुक्ति शाखा प्रबन्धक के रूप में बैंक की गोरखन विलास शाखा में की गई थी व परिवीक्षा काल में वृद्धि व सेवा में स्थाईकरण के समय तक वह उसी पद पर कार्यरत था ।

7. श्रमिक ने अपने शपथपत्र में व क्लेम में यह अभिकथित किया है कि बैंक में उसकी नियुक्ति अधिकारी के पद नाम से की गई थी किन्तु वास्तव में उसका कार्य व अधिकार किसी भी रूप में प्रबन्धकीय अथवा सुपरवाईजरी रूप में नहीं थे तथा जो कार्य वह करता था वह सम्पूर्ण रूप से लिपिकीय कार्य थे । कार्य का विवरण जो श्रमिक ने बताया है उसमें खाता खोलना, स्टेटमैंट बनाना, खातों का मूल्यांकन करना, ऋण पत्र भरना, राशि की वसूली करना तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की अनुपस्थिति में आवश्यकतानुसार उसका कार्य करना भी बताया गया है । नकारात्मक रूप से यह बताया गया है कि श्रमिक को किसी भी पद के कर्मचारी को नियुक्त करना का, वेतन देने का उस पर अनुशासनिक कार्यवाही करने का, उनको किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत करने का अधिकार नहीं था । इस संबंध में प्रदर्श डब्ल्यू -2 व डब्ल्यू-3 प्रलेख श्रमिक ने प्रस्तुत किये है । प्रदर्श डब्ल्यू-2 पत्र 14-1-87 का है जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि श्रमिक द्वारा अनाधिकृत रूप से गोपाल कृष्ण सोनी लिपिक को अवकाश स्वीकृत किया गया है जबकि श्रमिक को इस कार्य के लिए बैंक द्वारा अधिकार उपलब्ध कराये हुए नहीं थे । प्रदर्श डब्ल्यू -3 पत्र में मात्र यह उल्लेख है कि ब्रान्च मैनेजर का यह दायित्व है कि बैंक का सब कार्य समय पर पूर्ण किया जावे तथा लिपिक के अवकाश पर होने की स्थिति में भी शाखा प्रबन्धक को यह दायित्व है कि बैंक के कार्य में कोई व्यवधान नहीं हो । इन दोनों पत्रों से मात्र यह स्पष्ट होता है कि 1987 जनवरी तक शाखा मैनेजर को अपने अधीन कर्मचारियों का अवकाश स्वीकृत करने का अधिकार नहीं था व प्रदर्श डब्ल्यू-3 पत्र से मात्र यह प्रकट होता है कि बैंक के सम्पूर्ण कार्य के निष्पादन की जिम्मेदारी शाखा मैनेजर की है व यदि कोई कर्मचारी अवकाश पर हो या अनुपस्थित हो तो उसके स्थान पर भी कार्य सम्पादन करने का दायित्व शाखा मैनेजर का होता है । दोनों तथ्य ऐसे हैं जिनको देखते हुए, सिर्फ उन्हीं के आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि श्रमिक का मुख्य रूप से कार्य लिपिक के रूप में था न कि अधिकारी के रूप में ।

8. तथ्यों के संबंध में जो जिरह श्रमिक से हुई है उसमें उन्होंने स्वीकार किया है कि उसकी नियुक्ति के संबंध में बैंक के रेगुलेशन्स प्रभावी है, उसकी नियुक्ति प्रशिक्षण पश्चात् गोरखन विलास शाखा में ब्रांच मैनेजर के रूप में हुई थी, प्रारंभ में उस शाखा में ब्रांच मैनेजर के अलावा कोई भी कर्मचारी नियुक्त नहीं था व बाद में एक क्लर्क की नियुक्ति की गई थी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कोई भी नियमित नियुक्त नहीं था व दैनिक वेतन पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नियुक्त किया जाता था तथा उसकी नियुक्ति मुख्यालय से होती थी । इसके अलावा श्रमिक ने जिरह में बताया है कि शाखा में कार्य का कोई विभाजन नहीं था तथा सम्पूर्ण कार्य उसी के द्वारा किया जाता था । ऋण स्वीकृत करने के अधिकार के संबंध में गवाह ने बताया है कि शाखा को स्वतंत्र रूप से ऋण स्वीकृति के आदेश की पुष्टि मुख्यालय से होती थी । जिरह में प्रदर्श एम-1 बैंक के परिपत्र की ओर श्रमिक का ध्यान आकर्षित किया गया जिसे उसने अस्वीकार नहीं किया है किन्तु यह बताया है कि उनकी शाखा में यह परिपत्र प्राप्त हुआ या नहीं यह जानकारी नहीं है । गवाह का यह जवाब संतोषजनक नहीं है । सामान्य धारणा यह ली जानी चाहिये कि जो परिपत्र बैंक द्वारा जारी किये जाते हैं वे समस्त शाखाओं को भेजे जाते हैं व यदि कोई विशिष्ट परिपत्र ब्रान्च मैनेजर को प्राप्त नहीं हो तो स्पष्ट रूप से उसका खण्डन किया जाना आवश्यक है । प्रदर्श एम-1 परिपत्र के अनुसार 5,000/- रुपये तक की ऋण राशि स्वीकृत करने का स्वतंत्र रूप से अधिकार प्रत्येक शाखा मैनेजर को स्वीकृत किया हुआ है । इससे यह स्पष्ट है कि इस सीमा तक ऋण स्वीकृति के लिए मुख्यालय की पूर्व अनुमति लेना या स्वीकृति के आदेश की पुष्टि करना किसी भी रूप में आवश्यक नहीं है । प्रदर्श एम-2 परिपत्र भी ऋण की स्वीकृति के संबंध में शाखा मैनेजर्स को प्रदत्त अधिकार के संबंध में है जिसको जिरह में श्रमिक ने स्वीकार किया है । इसके अवलोकन से भी यह स्पष्ट है कि शाखा मैनेजर स्वतंत्र रूप से ऋण स्वीकृत करने के लिए संबंधित समय अधिकृत थे ।

9. श्रमिक ने अपनी जिरह में यह कहा है कि शाखा में जो कर्मचारी कार्यरत हैं उनका किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत करने का उसे अधिकार नहीं था व उसके अलावा उन पर कोई सुपरवीजन या नियन्त्रण प्रार्थी का नहीं था । नियोजक के विद्वान प्रतिनिधि ने एक स्पष्ट सुझाव यह दिया है कि क्या प्रार्थी शाखा में कार्यरत कर्मचारियों के कार्य को मूक दृष्टिगत के रूप में देखते थे जिसका भी जवाब श्रमिक ने यह दिया है कि उन कर्मचारियों पर श्रमिक का कोई नियंत्रण नहीं था । यह जवाब निश्चित रूप से अस्पष्ट व अस्वीकार किये जाने योग्य है । शाखा मैनेजर के साथ शाखा में जो कर्मचारी कार्यरत हैं, स्वाभाविक रूप से व नियमानुसार उनके कार्य का सुपरवीजन करना व नियंत्रण करने की जिम्मेदारी ब्रांच मनेजर की होती है ।

10. नियोजक की ओर से जो गवाह श्री भगवत सिंह मेहता प्रस्तुत हुए हैं उन्होंने अपने बयान में यह बताया है कि

शाखा मैनेजर को 5,000/- रुपए तक का ऋण स्वीकृत करने का अधिकार दिया हुआ है व इसी प्रकार शाखा मैनेजर को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के बिल प्रतिहस्ताक्षरित करने का उनके अवकाश स्वीकृत करने का व अंशकालीन कर्मचारी को नियुक्त करने का अधिकार दिया हुआ है । इसके अलावा उन्होंने यह बताया है कि श्रमिक की नियुक्ति अधिकारी, ब्रान्च मैनेजर के रूप में थी व बैंक के रैगूलेशन्स के अनुसार उनका दायित्व कार्य करने का अधिकारी के रूप में था न कि लिपिक के रूप में। जिरह में इस गवाह ने बताया है कि बैंक रैगूलेशन्स में ब्रान्च मैनेजर के जो कर्तव्य बताए गए हैं वे सब प्रार्थी द्वारा सम्पादित किए जाते थे व इसके अलावा खाता खोलना, स्टेटमैंट बनाना, खातों का मूल्यांकन करना, राशि वसूल करना आदि कार्य ब्रान्च मैनेजर के जिरह में बताए हैं व इसके अलावा मैनेजर के रूप में बैंक के हित में जो कार्य आवश्यक थे उनका निष्पादन भी शाखा मैनेजर द्वारा किया जाता है । उन्होंने यह स्वीकार किया है कि प्रार्थी को अपने अधीन किसी कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने के अधिकार उपलब्ध नहीं हैं व न ही कोई स्थाई नियुक्ति करने के अधिकार बैंक द्वारा दिए हुए हैं । बैंक के डेलीगेशन पावर के अनुसार शाखा मैनेजर द्वारा अवकाश स्वीकृत करने के अधिकार उपलब्ध होना गवाह ने जिरह में होना बताया है व प्रदर्श डब्ल्यू-2 बाबत बताया है कि संभव है कि उस समय इस प्रकार के अधिकार शाखा प्रबन्धक को प्रदत्त किए हुए नहीं हों । ग्रामीण बैंक में सामान्यतः एक मैनेजर के अलावा एक कनिष्ठ लिपिक व एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यरत होने के तथ्य को श्री मेहता द्वारा जिरह में बताया गया है । इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया है कि शाखा मैनेजर की अपने अधीनस्थ कर्मचारी के गोपनीय प्रतिवेदन भरने का अधिकार है किन्तु प्रार्थी द्वारा इस अधिकार का उपयोग किया गया अथवा नहीं इसकी उन्हें जानकारी नहीं है । बैंक की ओर से 1-11-83 को एक परिपत्र पत्रावली पर प्रस्तुत किया गया है जिसके जरिए शाखा मैनेजर को बैंक दैनिक वेतन पर अंशकालीन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को नियुक्त करने का अधिकार दिया हुआ है । इसी प्रकार 1-11-85 के आदेश के जरिए शाखा मैनेजर को अपने अधीन कर्मचारियों का आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने व 28-1-86 के आदेश के जरिए उनके यात्रा भत्ता बिलों पर हस्ताक्षर करने का अधिकार शाखा प्रबन्धक को संचालक मण्डल द्वारा प्रदत्त किया हुआ है । इसके अलावा जहां तक मौखिक व प्रालेखीय साक्ष्य का प्रश्न है, प्रार्थी के कर्तव्य व आकारों के संबंध में और कोई भी साक्ष्य किसी पक्ष की ओर से प्रस्तुत नहीं हुई है जो साक्ष्य प्रस्तुत हुई है उससे विनिश्चय यह किया जाता है कि श्रमिक की नियुक्ति अधिकारी के रूप में ब्रांच मैनेजर के पद पर थी, उसका कार्य मुख्य रूप से अधिकारी के रूप में था व किसी कर्मचारी की अनुपस्थिति में उसके द्वारा उसके कार्य का सम्पादन किया जाता था व एक निश्चित सीमा तक ऋण स्वीकृत करने, कर्मचारियों पर नियंत्रण रखने, उनसे कार्य लेने, उनका अवकाश स्वीकृत करने, उनके यात्रा भत्ता बिलों पर प्रति-हस्ताक्षर करने जैसे अधिकार शाखा मैनेजर को उपलब्ध थे व निश्चित रूप से यह समस्त कार्य लिपिकीय कार्य की परिभाषा में नहीं आता है बल्कि प्रशासनिक व मैनेजर के रूप में किए जाने कार्य की परिभाषा में आते हैं । धारा 2(एस) औद्योगिक विवाद अधिनियम में जो श्रमिक की परिभाषा दी गई है व जिन परिस्थितियों में उनके अपवाद को परिभाषित किया गया है उसे देखते हुए व श्रमिक के कार्यों को देखते हुए न्यायाधिकरण की राय में वह श्रमिक की परिभाषा में नहीं आता है । इसके अलावा श्रमिक के नियुक्ति पत्र में जो शर्तें वर्णित हैं तथा बैंक के रैगूलेशन्स में अधिकारी के जो कर्तव्य व दायित्व परिभाषित हैं उन पर अलग से विचार इसी दृष्टि से किया जाएगा ।

11. प्रार्थी का नियुक्ति आदेश प्रदर्श-डब्ल्यू-1 है । उनके पद सं. 8 में नियुक्ति की जो शर्तें उल्लिखित हैं उनके अनुसार ब्रान्च मैनेजर/अधिकारी का दायित्व ब्रांच का नियमित कार्य, बैंक जमा हेतु कन्वैसिंग करना, ऋण स्वीकृत करना, स्टाफ का प्रशिक्षण, सुपरवीजन व बैंक के हित में आवश्यकतानुसार अन्य सुसंगत कार्य करना है । बैंक के रैगूलेशन के नियम 3 के अनुसार बैंक की शाखा के मनेजर, प्रशासनिक अधिकारी, लेखाकार, फील्ड अधिकारी, फील्ड सुपरवाईजर व फील्ड सहायक को अधिकारी के रूप में परिभाषित किया गया है । इसके अलावा क्लर्क, कैशियर, टाईपिस्ट, स्टैनोग्राफर, ड्राईवर, चपरासी व स्वीपर को कर्मचारी के रूप में परिभाषित किया गया है । रैगूलेशन के नियम 2(एच) में प्रबन्धक की जो परिभाषा दी गई है उसके अनुसार संबंधित समय शाखा के प्रभारी अधिकारी के रूप में उसे परिभाषित किया गया है । रैगूलेशन के नियम 16 में अधिकारी का कार्य बैंक के व्यवसाय हेतु अपने उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार कार्य करना बताया गया है । श्रमिक के विद्वान प्रतिनिधि द्वारा प्रदर्श डब्ल्यू-1 नियुक्ति पत्र में वर्णित शर्तों व रैगूलेशन्स के विभिन्न प्रावधानों के संबंध में कोई भी विवाद नहीं किया गया है तथा यह न्यायाधिकरण स्वाभाविक रूप से प्रभावी रैगूलेशन्स को असंवैधानिक या अवैधानिक घोषित करने के लिए सक्षम नहीं है । प्रार्थी की ओर से यह तर्क भी सारवान रूप से दिया गया है कि नियुक्ति पत्र में वर्णित शर्तों व रैगूलेशन में वर्णित प्रावधानों को देखते हुए प्रार्थी किसी प्रकार अधिकारी की परिभाषा में नहीं आता है। श्रमिक के विद्वान प्रतिनिधि ने अपनी बहस के समर्थन में श्रम न्यायालय, जयपुर द्वारा धारा 33-सी (2) के प्रार्थना पत्र सं. 15/85 में दिए गए एक निर्णय दिनांक 20-3-87 की फोटो प्रति पेश कर यह तर्क दिया है कि उस निर्णय में ग्रामीण बैंक के अधिकारी को श्रमिक की परिभाषा में माना गया है व जो कारण निर्णय में उल्लिखित किए गए हैं वे तर्कसंगत व सारवान हैं इसलिए उन पर विचार किया जाकर प्रार्थी को श्रमिक माना जाए । संबंधित विद्वान न्यायाधीश द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह जिन तर्क पर आधारित है उनके संबंध में कोई भी व्याख्या या आलोचना करने का क्षेत्राधिकार इस न्यायाधिकरण को नहीं है किन्तु यह एक मान्य विधि सिद्धान्त है कि वह निर्णय इस न्यायाधिकरण के

लिए किसी भी प्रकार बाध्य नहीं है व जो तर्क माननीय न्यायाधीश द्वारा दिए गए हैं उन पर विचार किया जा सकता है यदि वे किसी भी रूप में सुसंगत हों। न्यायाधिकरण द्वारा उस निर्णय को पढ़ा गया किन्तु उनमें प्रस्तुत तर्क को देखते हुए प्रार्थी को श्रमिक की परिभाषा में मानने की संतुष्टि किसी प्रकार उपलब्ध नहीं होती।

12. श्रमिक के विद्वान प्रतिनिधि ने उपलब्ध तथ्यों को देखते हुए कुछ विधि दृष्टान्त यह प्रमाणित करने के लिए प्रस्तुत किए हैं कि प्रार्थी श्रमिक की परिभाषा में आता है जो निम्न प्रकार है :

1. एन. के. वर्मा बनाम महेश चन्द्र 1983 लैब. आई. सी. (एस. सी.) 1483
2. इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी बनाम श्रमिकगण एस. सी. एल. जे. (1950-67) (वाल्यूम II) 1023
3. नेशनल इंजीनियरिंग इण्डस्ट्रीज बनाम श्रीकिशन बाहेरिया ए. आई. आर. 1988 (एस. सी.) 329
4. वेद प्रकाश गुप्ता बनाम डैल्टन केबिल्स इंडिया प्रा. लि. 1984 (II) एल. एल. एन. (एस. सी.) 27
5. मैसर्स इंटर ग्लोब एरिया ट्रांसपोर्ट 1994 लैब. आई. सी. (बम्बई) 1095

13. उक्त सभी संदर्भित विधि निर्णयों में जो सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं वे इस प्रकार हैं कि मात्र पद नाम से यह निर्धारित नहीं किया जा सकता कि कोई भी व्यक्ति अधिकारी की परिभाषा में आता है अथवा श्रमिक की, इसके लिए नियुक्ति की शर्तें व उसके द्वारा किये जाने वाले कार्य की प्रकृति पर विचार किया जाना आवश्यक व अपेक्षित है। यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि मुख्य रूप से किसी कर्मचारी द्वारा जो कार्य किया जाता है उसी से उसके पद की प्रकृति का निर्धारण किया जाना अपेक्षित है व यदि मुख्य कार्य के साथ आकस्मिक रूप से व आवश्यक रूप से उसके द्वारा कोई अन्य कार्य भी आवश्यकतानुसार सम्पूर्ण किया जाता है तो उससे उसके कार्य की प्रकृति का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। निष्कर्ष यह है कि हर मामले में कोई कर्मचारी अधिकारी की परिभाषा में आता है अथवा श्रमिक की यह तथ्यों को देखते हुए उपलब्ध विधि दृष्टान्तों की दृष्टि से निर्धारित किया जाना आवश्यक है।

14. नियोजक के विद्वान प्रतिनिधि द्वारा श्रमिक की ओर से प्रस्तुत विधि दृष्टान्तों के विपरीत निम्न निर्णय प्रस्तुत किये गये हैं :

1. एच.आर. आदित्यनाथ बनाम सैन्डोज लि., जे. टी. 1994 (5) एस.सी. 176

15. उक्त संदर्भित निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने पूर्व में दिये गये एस.के. वर्मा में प्रतिपादित सिद्धान्तों से असहमति व्यक्त की गई है व धारा 2 (एस) अधिनियम में दी गई श्रमिक की परिभाषा व विक्रय एजेण्ट के कृत्य व दायित्वों को देखते हुए यह प्रतिपादित किया गया है कि वह अधिकारी की परिभाषा में नहीं आता है।

16. दोनों पक्षों की ओर से जो विधि दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये हैं व इस प्रकरण के तथ्यों पर जो विस्तृत विवेचन किया गया है उन पर सामूहिक रूप से विचार करने से यह विनिश्चय किया जाता है कि वर्तमान प्रार्थी द्वारा धारा 2 (एस) के तहत श्रमिक की परिभाषा में नहीं आता है व इस कारण यह विवाद सुनवाई योग्य नहीं है। चूंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय व विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि अंतिम बहस के पश्चात् मामले के गुण दोष पर निस्तारण किया जाना चाहिये ताकि रिमाण्ड की संभावना को कम किया जा सके इसलिए गुण दोष पर भी विचार कर यह विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है कि नियोजक द्वारा श्रमिक की परिवीक्षा अवधि में वृद्धि करने का जो आदेश दिया गया है वह न्यायोचित है अथवा नहीं।

17. नियोजक के विद्वान प्रतिनिधि ने अपने जवाब व बहस में यह तर्क दिया है कि संबंधित नियमों के अनुसार परिवीक्षा अवधि में वृद्धि करने का विवेकाधिकार नियोजक को उपलब्ध है तथा जब तक किसी शिकायत या दुराचरण के आधार पर यह कार्यवाही नहीं की जा सकती तब तक संबंधित कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस दिया जाना अथवा उसका स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना आवश्यक नहीं है। उनका यह भी कथन है कि जब तक संबंधित कर्मचारी द्वारा यह साबित नहीं किया जावे कि नियोजक द्वारा कार्यवाही जो की गई है वह दुर्भावना आधारित है अथवा उसका कोई भी आधार नहीं है उसी स्थिति में न्यायाधिकरण उस कार्यवाही को अवैधानिक मान सकती है व इस प्रकरण में इस प्रकार के कोई भी तथ्य उपलब्ध नहीं हैं। श्रमिक की परिवीक्षा अवधि में वृद्धि करने का जो आदेश पारित किया गया है उसमें मात्र यह लिखा गया है कि नियुक्ति की शर्तों व रैगूलेशन्स के प्रावधानों को देखते हुए श्रमिक की परिवीक्षा अवधि में वृद्धि की जाती है। कोई भी कारण उसमें उल्लिखित नहीं है इसलिए आदेश को देखते से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि किसी भी शिकायत अथवा दुराचरण के आधार पर नियोजक द्वारा उक्त कार्यवाही की गई थी। दोनों पक्षों ने अपने क्लेम, जवाब व साक्ष्य में यह बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार नियोजक की कार्यवाही अनुचित/उचित है। तथ्यों पर इस संबंध में बाद में विचार किया जायेगा। श्रमिक की ओर से नियोजक की ओर से प्रस्तुत विधिक दृष्टिकोण के संबंध में कोई भी निर्णय प्रस्तुत नहीं किया गया है। नियोजक द्वारा अपने तर्क के समर्थन में जो विधि दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये हैं वे निम्न प्रकार हैं :—

1. देवाराम बनाम राजस्थान राज्य, एस.एल.आर. 1980 (1) (राज.) 820

2. वी.के. जार्ज बनाम भारत संघ, एस.एल.आर. 1969 (केरल) 560

3. राणेन्द्र चन्द्र बनर्जी बनाम भारत संघ ए.आई. आर. 1963 (एस.सी.) 1552

4. रमेश चन्द्र शुक्ल बनाम एटोमिक एनर्जी विभाग व अन्य एस.एल.आर. 1994 (8) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण हैदराबाद, 386

18. उक्त सभी संदर्भित विधि दृष्टान्त में यह प्रतिपादित किया गया है कि यदि किसी भी स्टिगमा के बिना परिवीक्षा अधीन कर्मचारी की परिवीक्षा अवधि में उसका कार्य असंतोषजनक होने के कारण वृद्धि की जाती है अथवा उसकी सेवा समाप्त की जाती है तो अनुच्छेद 311 के प्रावधान लागू नहीं होते व उस स्थिति में श्रमिक को कारण बताओ नोटिस देना या उससे स्पष्टीकरण प्राप्त करना आवश्यक नहीं है। अंतिम संदर्भित निर्णय में यह भी प्रतिपादित किया गया है कि अभिलेख से यदि यह प्रकट होता हो कि परिवीक्षा अवधि में कर्मचारी के कार्य के संबंध में त्रुटियां पाई गई व समय-समय पर उसे चेतावनी दी गई तो वह उसकी परिवीक्षा अवधि में वृद्धि करने का पर्याप्त आधार माना जाना चाहिये। उपलब्ध विधि सिद्धान्तों की दृष्टि से इस प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया जायेगा।

19. श्रमिक ने अपने क्लेम व शपथ पत्र के पद सं. 5 में यह उल्लिखित किया है कि संबंधित ग्रामीण बैंक की जितनी शाखाएं थीं उनमें कार्यकुशलता के हिसाब से उनकी शाखा का क्रम काफी ऊपर था अंकेक्षण के समय उनका कार्य संतोषजनक पाया गया था व व्यवसाय के हिसाब से भी उनके कार्य के प्रति अच्छी टिप्पणी की गई थी व वसूली कार्यवाही भी संतोषजनक थी किन्तु उसके बावजूद उनकी परिवीक्षा अवधि में वृद्धि की गई। अपने कथन के समर्थन में प्रार्थी ने प्रदर्श डब्ल्यू-4 से डब्ल्यू-7 प्रलेख प्रस्तुत किये हैं। प्रदर्श-4 से 6 बैंक के अध्यक्ष द्वारा जारी प्रमाणपत्र हैं जिनमें बैंक की ऋण वसूली व अन्य कार्य के लिए उनके सहयोग की सराहना की गई है। प्रदर्श डब्ल्यू-7 बैंक द्वारा जारी विभिन्न शाखाओं की रैंकिंग की तालिका है जिसके अनुसार दिसम्बर 1984 से दिसम्बर 1985 के बीच गोरधन विलास शाखा की रैंक क्रमशः 14, 13, 10, 17 व 13 बताई गई है। इन तथ्यों को जवाब में नियोजक द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है। इसके बावजूद कोई भी जिरह इन तथ्यों पर श्रमिक से नहीं की गई है इसलिए जो तथ्य उसके द्वारा वर्णित किये गये हैं व चूंकि उनके समर्थन में प्रदर्श डब्ल्यू-4 से डब्ल्यू-7 प्रलेख प्रस्तुत किये गये हैं उनको अस्वीकार करने का कोई भी कारण नहीं हो सकता।

20. नियोजक द्वारा अपने जवाब में यह बताया गया है कि परिवीक्षा अवधि में प्रार्थी द्वारा अवकाश स्वीकृत कराये बिना व कोई भी अवकाश बकाया न होते हुए अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित होना बताया गया था, 28-8-85 से 31-8-85 के बीच की अवधि का अवकाश बिना स्वीकृत कराये व अपने अधीनस्थ कर्मचारी को चार्ज देकर चला गया व इसके अलावा सितम्बर 1985 से नवम्बर 1985 के बीच उसके द्वारा पीरियोडीकल रिटर्नस समय पर प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके लिए 23-12-85 को अर्द्ध शासकीय पत्र भी भेजा गया था व इसके अलावा परिवीक्षा अवधि में यह पाया गया कि प्रार्थी द्वारा अपने कार्य में वांछित रुचि नहीं ली जाती थी। जवाब में दिसम्बर 1984 से दिसम्बर 1985 के बीच मेवाड़ ग्रामीण बैंक की कुल शाखाएं क्रमशः 52, 57, 57, 58 व 58 बताई गई हैं व उसमें कार्य के अनुसार गोरधन विलास शाखा की स्थिति जमा व ऋण के हिसाब से क्रम सं. 14, 49, 24, 42 व 29 पर बताई गई है जवाब में उल्लिखित तथ्यों के समर्थन में नियोजक की ओर से एक गवाह श्री भगवंत सिंह मेहता को साक्ष्य में प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने अपने शपथ पत्र में उन्हीं तथ्यों का पुनः उल्लेख किया है जो नियोजक द्वारा जवाब में अभिकथित किये गये हैं। प्रदर्श डब्ल्यू-7 जो प्रलेख श्रमिक ने प्रस्तुत किया है उसे सही होना गवाह ने जिरह में स्वीकार किया है व यह भी बताया है कि तुलनात्मक अध्ययन के अनुसार प्रार्थी की शाखा से नीचे भी अन्य शाखाओं का कार्य के अनुसार वर्गीकरण किया गया था। अन्य कोई भी जिरह गवाह से नहीं की गई है।

21. श्रमिक के विद्वान प्रतिनिधि ने अपनी बहस में यह बताया है कि जिस अवधि में श्रमिक द्वारा बिना अवकाश स्वीकृत कराये अवकाश पर जाना बताया गया है व अवकाश बाद में बैंक द्वारा स्वीकृत कर दिया गया था तथा इसका कारण श्रमिक की बीमारी था जिसका प्रमाणपत्र भी बाद में प्रस्तुत किया गया था। संबंधित प्रलेख यद्यपि साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं हुआ है किन्तु उनके पठन से यह स्पष्ट है कि बाद में यह अवकाश श्रमिक को स्वीकृत कर दिया गया था। नियोजक के विद्वान प्रतिनिधि का यह तर्क है कि बाद में अवकाश स्वीकृत करने से प्रार्थी की लापरवाही व ड्यूटी के प्रति उदासीनता का जो तथ्य है वह किसी भी रूप में समाप्त नहीं होती है। इसके अलावा स्वयं श्रमिक की ओर से जो प्रलेख प्रस्तुत किये गये हैं उनमें प्रदर्श डब्ल्यू-2 से यह प्रकट होता है कि श्रमिक द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारी को बिना अधिकारिता के अवकाश स्वीकृत किया गया था व उस समय भविष्य में सावधान रहने की श्रमिक को चेतावनी दी गई थी। समय पर पीरियोडीकल रिटर्नस नहीं भेजने व उस संबंध में अर्द्ध शासकीय पत्र श्रमिक को भेजे जाने की जो साक्ष्य श्री मेहता ने प्रस्तुत की है उस पर कोई भी जिरह नहीं है व इसके अलावा इस संबंध में दिनांक 23-11-85, 19-8-84, 17-1-85 के पत्रों की फोटो प्रति पत्रावली पर उपलब्ध है। श्रमिक ने समय-समय पर अपने को जारी पत्रों के संबंध में परिवेदना प्रतिवेदन नियोजक को प्रस्तुत किया था जिस पर समुचित विचार किया जा कर वह 13-1-87 के पत्र से खारिज किया गया।

22. जिन तथ्यों पर तर्कसंगत रूप से पूर्व में विचार किया गया है उनके विवेचन व पठन से यह स्पष्ट है कि श्रमिक की परिवीक्षा अवधि में वृद्धि करने के लिए व उसका कार्य उस अवधि में असंतोषजनक मानने के लिए युक्तिसंगत आधार नियोजक के पास उपलब्ध था। किसी भी एक घटना या कार्य में श्रमिक का कार्य संतोषजनक या असंतोषजनक होना नहीं माना जा सकता तथा सामूहिक रूप से श्रमिक के दायित्व व कार्य के प्रति तमाम उपलब्ध तथ्यों को देखते हुए नियोजक द्वारा जो दृष्टिकोण लिया जाता है। उस पर विचार किया जाना अपेक्षित है। निष्कर्ष यह है कि जो तथ्य पक्षावली पर उपलब्ध हैं उनको देखते हुए यह विनिश्चय किया जाना उचित नहीं है कि अकारण या बिना किसी आधार के श्रमिक की परिवीक्षा अवधि में वृद्धि की गई थी।

23. श्रमिक ने अपने क्लेम, शहादत व कुछ प्रलेख के जरिये यह अभिकथित किया है कि पोरियोडीकल रिटर्न्स व कार्य के संबंध में जिस प्रकार के पत्र उसे दिये गये थे वैसे अन्य परिवीक्षा अधीन अधिकारियों को भी दिये गये थे वे किन्तु उनकी परिवीक्षा अवधि में वृद्धि नहीं की गई व इस प्रकार श्रमिक के साथ भेदभावपूर्ण नीति को अपनाया गया। प्रदर्श डब्ल्यू-9 व डब्ल्यू-10 दो पत्र इस संबंध में प्रस्तुत किये गये है जो क्रमश : श्री ए. के. कटारा व श्री घनश्याम सिंह के नाम अध्यक्ष द्वारा संशोधित हैं। इन पत्रों का कोई जवाब संबंधित अधिकारीगण द्वारा दिया गया हो व उन पर कोई कार्यवाही नियोजक ने की हो ऐसी किसी की साक्ष्य या प्रलेख से प्रकट नहीं होता। नियोजक के विद्वान प्रतिनिधि का कथन है कि इन दो अधिकारियों के मामले में यह संभव है कि उनके स्पष्टीकरण के बाद व उनके कार्य का हर प्रकार से मूल्यांकन करने के पश्चात प्रबन्धक द्वारा उनकी परिवीक्षा अवधि में वृद्धि करना उचित नहीं माना गया हो किन्तु इस आधार पर श्रमिक को कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। उनका यह तर्क निश्चित रूप से मानने योग्य है। श्रमिक को गुण दोष पर अपने क्लेम को साबित करना आवश्यक है व इसके अलावा उक्त दोनों अधिकारियों के संबंध में उपलब्ध साक्ष्य से यह मानने का भी आधार नहीं है कि दुर्भावना के कारण उनके व प्रार्थी के मामले में नियोजक द्वारा कोई भेद किया गया हो।

24. श्रमिक ने अपने क्लेम, शहादत में यह बताया है कि वह संबंधित समय एसोसियेशन का अध्यक्ष व महासचिव था व इस कारण बैंक के अध्यक्ष उनकी गतिविधि से नाराज थे व इसी कारण उसके खिलाफ परिवीक्षा अवधि में वृद्धि करने की कार्यवाही की गई दुर्भावना के विशिष्ट तथ्य उल्लिखित नहीं किए गए हैं। किसी भी अधिकारी का नाम लिखित नहीं किया गया है न ही कोई उदाहरण इस सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया है। प्रदर्श डब्ल्यू-11 के प्रदर्श डब्ल्यू-13 जो प्रलेख प्रस्तुत हुए है उनसे यह निश्चित रूप से प्रमाणित होता है कि प्रार्थी संबंधित समय में बैंक की अधिकारी एसोसियेशन का अध्यक्ष व महासचिव था किन्तु मात्र इसी से यह धारणा नहीं ली जा सकती कि प्रबन्धक पक्ष उससे दुर्भावना रखते थे। दुर्भावना का तथ्य साबित करने के लिए विशिष्ट वह स्पष्ट साक्ष्य प्रस्तुत होना आवश्यक है। नियोजक के गवाह श्री मेहता ने अपने शपथ पत्र में तथा नियोजक द्वारा प्रस्तुत जवाब में इन तथ्यों का खण्डन किया है व उन पर कोई भी सारवान जिरह नहीं की गई है। निष्कर्ष यह है कि श्रमिक की यह प्रतिरक्षा मानने योग्य है कि एसोसियेशन की गतिविधि के कारण दुर्भावना स्वरूप उसके खिलाफ परिवीक्षा अवधि में वृद्धि करने की कार्यवाही की गई थी।

25. नियोजक के विद्वान प्रतिनिधि ने एक विधिक तर्क यह भी प्रस्तुत किया है कि रेगूलेशन में परिवीक्षा में वृद्धि करने का व उसके परिणामस्वरूप वरिष्टता प्रभावित होने का जो प्रावधान है उसकी विधिक प्रावधान के अनुसार चुनौती दिये बिना व उनको असंवैधानिक घोषित कराये बिना श्रमिक गुण दोष के बावजूद भी कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है रेगूलेशन में जो प्रावधान है उनपर श्रमिक की ओर से कोई विवाद नहीं किया गया है इसलिए यदि परिवीक्षा अवधि में वृद्धि करने के आदेश को अपास्त नहीं किया जाता है तो निश्चित रूप से वरिष्टता के संबंध में भी श्रमिक कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हो सकता। अन्य कोई भी तर्क वितर्क किसी पक्ष की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है।

26. निर्देशित विवाद का अधिनिणय इस प्रकार किया जाता है कि प्रार्थी गोपेश मोहन शर्मा की परिवीक्षा अवधि प्रबन्धक, मेवाड आंचलिक ग्रामीण बैंक द्वारा वृद्धि करने की कार्यवाही उचित एवं न्यायसंगत है वह इस कारण प्रार्थी कोई भी अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

27. अवार्ड आज दिनांक 8-8-1995 को लिखाया जाकर सुनाया गया जो केन्द्र सरकार को प्रकाशनार्थ नियमानुसार भेजा जाये :

क एल. व्यास, न्यायाधीश

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 1996

का०आ० 480 :—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार महाकौशल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के प्रबंध तंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण जबलपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 25—1—96 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल०-12012/52/93/आई. आर. बी-I]

पी० जे०-माईकल, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 30th January, 1996

S.O. 480.—In pursuance of Section II of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Mahakoshal Gramin Bank and their workman, which was received by the Central Government on 25-1-96

[No. L-12012/52/93-IRBI]

P. J. MICHAEL, Desk Officer

ANNEXURE

IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, JABALPUR (MP)

CASE REF. NO. CGIT/LC(R)(106)/1993

BETWEEN

Shri Rajendra Prasad Dubey C/o Shri P. N. Sharma, Plot No. 138, Shakti Nagar (Gupteshwar) Jabalpur (MP)-482001.

AND

The Chairman, Mahakoshal Kshetriya Gramin Bank, Head Office, 164, Shivaji Ward, Civil Lines, Narsinghpur (MP).

PRESIDED IN : By Shri Arvind Kumar Awasthy.

APPEARANCES :

For workman : Shri P. N. Sharma.

For Management : Shri Raroria.

INDUSTRY : Banking DISTRICT : Narsingpur (MP)

AWARD

Dated : January 10, 1996

This is a reference made by the Central Government, Ministry of Labour, New Delhi, vide Notification No. L-12012/52/93-IR(B-I) Dated 27-5-1993, for adjudication of the following industrial dispute :—

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Mahakaushal Kshetriya Gramin Bank in terminating the services of Shri Rajendra Prasad Dubey with effect from 9-8-1988 is legal and justified ? If not, to what relief the workman is entitled to ?"

2. Statement of claim and the rejoinder was filed by the parties. Terms of reference was made the issue in the case. Workman was examined and the evidence was closed. Then the case was posted for the evidence of the management. However, the Settlement was filed by the parties. Terms of the Settlement are just and proper and it is duly verified. Following are the terms of Settlement :—

1. That the applicant Shri Rajendra Prasad Dubey is ready and willing to withdraw his case mentioned above which is at present pending with you, provided the applicant is given a fresh appointment to the post of Cashier/Clerk in Mahakaushal Kshetriya Gramin Bank, Narsinghpur and will not press his claim for back wages, seniority and other consequential benefits whatsoever.

2. That the management has considered the application dated 10-10-95 of the applicant sympathetically and agrees to offer regular fresh appointment to the applicant named above to the post of Cashier/clerk in the bank on the terms and conditions mentioned above after notification in the Gazette of Govt. of India as and when the Award received by Bank.

3. Consequently, award is passed in terms of the Settlement. Parties to bear their own costs.

ARVIND KUMAR AWASTHY, Presiding Officer

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 1996

का०आ० 481 :—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, जबलपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 24-1-96 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल०-12012/182/94/आई०आर०बी०-II]

बी० के० शर्मा, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 31st January, 1996

S.O. 481.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Central Bank of India and their workmen, which was received by the Central Government on 24-1-96.

[No. L-12012/182/93-IR(B-II)]

V. K. SHARMA, Desk Officer

ANNEXURE

IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, JABALPUR (MP)

CASE REF. NO. CGIT/LC(R)(28)/1994

BETWEEN

Shri Goverdhan Lal S/o Shri Ratanlalji Parmar, R/o Chanderpura, Mandsaur (MP).

AND

The Regional Manager, Central Bank of India, 690, Shastri Nagar, Ratlam (MP).

PRESIDED IN : By Shri Arvind Kumar Awasthy.

APPEARANCES :

For Workman : Shri Modi, Advocate.

For Management : Shri G. S. Yadav.

INDUSTRY : Banking DISTRICT : Ratlam (MP)

AWARD

Dated : January, 8, 1996

This is a reference made by the Central Government, Ministry of Labour, vide its Notification No. L-12012/182/93-IR (B-II) dated 1st March, 1994, for adjudication of the following industrial dispute :—

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Central Bank of India, Ratlam in terminating the services of Shri Goverdhanlal, Driver with effect from 8-7-1992 is justified ? If not, what relief, is the workman entitled to?"

2. Reference was received by the Tribunal on 11-3-1994 and inspite of the repeated notices to the workman, the workman has not filed the statement of claim. The workman appeared on 14-12-1994 and again on 24-2-1995 and requested for adjournment to file the statement of claim. Ultimately, none appeared for the workman and the statement of claim was also not filed by him. The prayer of the management to pass a no dispute award appears to be just and proper. Workman is not interested in pursuing the dispute. As such, no disnute award is hereby passed. No order as to costs.

ARVIND KUMAR AWASTHY, Presiding Officer

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 1996

का०आ० 482 :—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार केनारा बैंक के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में, औद्योगिक अधिकरण मद्रास के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 24-1-1996 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल०-12012/35/95-आई०आर० (बी-) 2]

वी० के० शर्मा, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 31st January, 1996

S.O. 482.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Madras as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Canara Bank and their workmen which was received by the Central Government on 24-1-96.

[No. L-12012/35/95-I.R. (B-II)]

V. K. SHARMA, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL, TAMIL NADU MADRAS

Friday, the 15th day of December, 1995

PRESENT:

Thiru N. Subramanian, B.A.B.L., Industrial Tribunal

Industrial Dispute No. 58 of 1995

(In the matter of the dispute for adjudication under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the Workman and the Management of Canara Bank, Madras).

BETWEEN :

Sri S. Jaisankar,
E-36/C, P & T Qaurters,
Anna Nagar (W), Madras-40.

AND

General Manager,
Canara Bank,
563/1, Anna Salai,
Madras Circle Office, Teynampet,
Madras-18.

REFERENCE :

Order No. L-12012/35/95-IR(B.II), dated 25-8-95, Ministry of Labour, Govt. of India, New Delhi.

This dispute coming on this day for final disposal in the presence of Thiru R. Krishnamachari, Advocate appearing for the Management upon perusing the reference and other connected papers on record and the Workman being absent, this Tribunal passed the following,

AWARD

This reference has been made for adjudication of the following issue :—

"Whether the action of the Management of Canara Bank, Madras in terminating the services of Sri S. Jaisankar, Coolie w.e.f. 30-5-88 is legal and justified ? If not, what relief is the concerned workman entitled to ?"

No representation for the Petitioner. Petitioner called absent at 11.00 a.m. When the case was called at 4.30 p.m., there is no representation for the petitioner. Petitioner was called absent. The petitioner was absent even from the date of first hearing. Hence Industrial dispute is dismissed for default. No costs.

Dated, this the 15th day of December, 1995

Thiru N. Subramanian, B.A.B.L., Industrial Tribunal

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 1996

का०आ० 483 :—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कलकत्ता के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 25-1-1996 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल०-12012/411/92-आई०आर०बी०]

वी० के० शर्मा, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 31st January, 1996

S.O. 483.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Central Bank of India and their workmen, which was received by the Central Government on 25-1-96.

[No. L-12012/411/92-IR (B-II)]

V. K. SHARMA, Desk Officer

ANNEXURE

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT CALCUTTA

Reference No. 26 of 1993

PARTIES :

Employers in relation to the management of Central Bank of India.

AND

Their workmen

PRESENT :

Mr. Justice K. C. Jagadeb Roy, ...Presiding Officer

APPEARANCES :

On behalf of Managemest.—Mr. S. C. Ghosh, Deputy Chief Officer (Law).

On behalf of Workmen.—None.

STATE : West Bengal. INDUSTRY : Banking.

AWARD

By Order No. L-12012/411/92-IR (B-II) dated 8-4-1993 the Central Government in exercise of its powers under Section 10(1)(d) and (2A) of the Industrial Disputes Act, 1947, referred the following dispute to this Tribunal for adjudication :—

"Whether the claim of the Central Bank of India Employees Association, Calcutta that the transfer orders of Shri Debasis Chowdhury and Shri S. P. Badyokar to Kharagpur Branch and Debshala Branch respectively issued by the Regional Manager, Durgapur do not violate the transfer policy of the Bank is justified ? If not, was the Zonal Manager justified in cancelling the transfer orders and shifting the workmen back to their initial place ? What relief, if any, are the workmen entitled to ?"

2. The workmen had filed their written statement on 20-7-1993 signed by the General Secretary of the Central Bank of India Employees Association, Management had filed theirs on 15th May 1995 being verified by the Chief Officer, Zonal Office, Central Bank of India, Calcutta. The General Secretary himself however has not filed any power in the case to represent the workmen whose case has been taken up by the Central Bank of India Employees Association. No one else has appeared in the case on behalf of the workmen by filing any letter of authority. Management has been represented by two of their officers.

3. Since 15-6-1995 none appeared on behalf of the workmen even though the case had been adjourned from day to day. On 26-10-1995 the case was adjourned to 14-12-1995 affording the last chance to the workmen to lead evidence, if any, on their behalf but none appeared on behalf of the workmen on 14-12-1995 either.

4. The workmen are required to lend their evidence first in this reference but no steps has been taken by the workmen for doing the same. There is no material available in the record to hold that the workmen were unjustifiably prevented from appearing before the Tribunal in the case, I therefore come to hold that the workmen have given up their case and do not like to proceed further. Accordingly, I pass a "No Dispute" Award in this case.

The reference is disposed of accordingly.

Dated, Calcutta,

The 8th January, 1996.

K. C. JAGADEB ROY, Presiding Officer

नई दिल्ली, 31–1–1996

का०आ० 484.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार बैंक आॅफ बड़ोदा के प्रबंधतंत्र के सबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 30–1 1996 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल०-12012/725/88/डी०-IIए/
आई०आर०डी०-2]

वी० के० शर्मा, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 31st January, 1996

S.O. 484.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Bank of Baroda and their workmen, which was received by the Central Government on 30-1-1996.

[No. L-12012/725/88-DIIA/IR(B-II)]
V. K. SHARMA, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SRI B. K. SRIVASTAVA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, PANDU NAGAR, KANPUR

Industrial Dispute No. 117 of 1989

In the matter of dispute between :

Lalit Kumar Tripathi,
C/o Sri Harmangal Prasad,
36/1, Kailash Mandir,
Kanpur.

AND

Manager,
Bank of Baroda,
40, Navin Market,
Civil Lines, Kanpur.

AWARD

1. Central Government, Ministry of Labour, New Delhi, vide its Notification No. L-12012/725/88-D-2(A), dated 18th May, 1983 has refered the following dispute for adjudication to this Tribunal—

Whether the action of the management of Bank of Baroda in terminating the services of Sri Lalit Kumar Tripathi and not considering him for further employment while recruiting fresh hands under section 25H of I.D. Act is justified? If not, to what relief is the workman entitled?

2. The concerned workman Lalit Kumar Tripathi, has alleged that he had worked in the opposite party Bank of Baroda, Navin Market Branch, Kanpur from 18-8-84 till 20-3-87. As it has been done in breach of section 25F of I.D. Act, the same is bad in law. Further it is alleged that juniors to him have been retained in services at the time of terminating his services and no fresh opportunity have been given to him for reemployment when fresh hands were engaged.

3. The opposite party has filed written statement denying that the concerned workman had worked continuously. Instead it is alleged that he was engaged for doing pity work like bringing water from ground floor to upper storey and also doing allied work of keeping cycle. His job was for one hour daily for which he was paid daily. He was never employed in this way and he is not temporary worker at all. In the year 1984 he had worked for 78 days while 1985 he had worked for 125 days and in the year 1986 he had worked for 57 days. In this way in none of the calendar year he had worked for continuously for more than 240 days. Hence, he is not entitled for benefit of section 25F of I.D. Act. Question of juniority and seniority in such a case does not arise. Similarly section 25H of I.D. Act will not apply in such a case.

3. In the first place it will be seen if the concerned workman was a temporary worker or was engaged fordoing for about one hour in a day casually. No doubt there is affidavit of Branch Manager Mahendra Kumar Bhargawa, in this regard but I am not inclined to accept it because of annexure II which is the list of temporary workers of the opposite party. In this list the concerned workman has been shown as a temporary worker having worked for 359 days in all. Thus from this admission it is fully established that the concerned workman was not engaged as a casual worker for doing work for one hour a day. Instead he was a temporary worker.

4. Now it will be seen as to for how many days the concerned workman had worked. In this regard M. K. Bhargava has filed his affidavit and he has also been cross-examined. Further statement of number of days has also been given which is supported by vouchers. This shows that the concerned workman had worked from 21-3-86 to 20-3-87 for 20 days. As said earlier it is supported by vouchers. No doubt there is evidence of the concerned workman showing that he had continuously worked, but I am not inclined to accept it on the face of above mentioned statement supported by vouchers. On the basis of above, I come to the conclusion that the concerned workman has not completed 240 days in a calendar year before this termination as such he was not entitled for benefit of section 25-F I. D. Act. To such temporary casual workers, provisions of sections 25-F and 25-G of I. D. Act, would also not apply. Hence, on none of the grounds the termination order can be challenged by the concerned workman.

5. Hence, my award is that the termination is not bad in law and as such he is not entitled for any relief.

6. Reference is answered accordingly.

B. K. SRIVASTAVA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 1996

का. आ. 485 :—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार बैंक आफ बड़ौदा के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 30-1-96 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-12012/896/88 डी II ए./आई. आर. बी.-2]

वी. के. शर्मा, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 31st January, 1996

S.O. 485.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Bank of Baroda and their workmen, which was received by the Central Government on 30-1-96

[No. L-12012/896/88-D II A/IR(B-II)]

V. K. SHARMA, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SRI B. K. SRIVASTAVA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, PANDU NAGAR, DEOKI PALACE ROAD, KANPUR

Industrial Dispute No. 188 of 1989

In the matter of dispute between :

General Secretary,

Bank of Baroda Employees Union.

C/o Bank of Baroda,
90/165, Dua Market.

Chamra Mandi, Kanpur.

AND

Regional Manager,

Bank of Baroda,

19-Nay Road, Lucknow.

AWARD

1. Central Government, Ministry of Labour, New Delhi, vide its notification No. L-12012/896/88-D-2(A) dated 14th August, 1989, has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal—

> Whether the action of the management of Bank of Baroda in terminating the services of Sri Ayaz Ahmad is justified ? If not, to what relief is the workman entitled ?

2. The case of the concerned workman is that he was engaged as a peon in the newly opened Rustampur Branch of Bank of Baroda opposite part on 16-8-85 and continued to work there till 5-11-86. Thereafter, his services were terminated in breach of section 25F and various provisions of Bi-partite Settlement as notice pay and retrenchment compensation was not given and further juniors to him were retained in service and further that no fresh chance was given to him when newly hands were engaged.

3. The opposite party has filed written statement in which in the first place validity of reference has been questioned. Thereafter it has been alleged that in a calendar year the concerned workman has not completed 240 days. Hence, there is no question of compliance of section 25F I.D. Act. It is denied that juniors to the concerned workman have been retianed and further fresh hands have been engaged. It has also been alleged that the concerned workman was over qualified for the job of peon. He had concealed this fact. Had he revealed his exact qualification he would not have been taken in service.

4. The concerned workman has filed rejoinder in which nothing new has been said. Although both the parties have filed a number of documents and have also adduced oral evidence. It is needless to refer to them as the matter can be decided on the basis of admission made by the bank management in the papers filed by them regarding numbers of days worked by the concerned workman.

5. In the first place it may be mentioned that although in the written statement validity of reference has been questioned but nothing has been said during the course of arguments regarding this point. Even in the written arguments nothing has been said in this regard. Hence for want of any particulars regarding challenge to illegality of reference, I negative this plea.

6. The next point which called for considertion is as to for how many days the concerned workman has actually worked in the bank as peon The management bank has filed annexure II with the list dated 1-7-91, through M. F. Hussani, Manager Personnel. It displays that the concerned workman has worked for 204 days from November 1985 upto November, 1986. It has been urged by the authorised representative of the workman that in this National Holidays and Sundays have not been included. Gulab Singh, M.W.1, Manager of the opposite party bank in his cross-examination has conceded this fact. In the case of workman of American Express International Banking Corporation and Management of American Express International Banking Corporation 1985 (51) FLR 481 (SC), it has been explained by the Hon'ble Supreme Court that the expression "ACTUALLY WORKED UNDER THE EMPLOYER" as given in section 25F and 25-B-2 would include Sundays and other Holidays. In view of this explanation the number of Sundays and other paid Holidays are to be added to the above mentioned number of days as admitted by the management. In a year there are 52 Sundays. Even if we add 52 days to 204 days, it will exceed 240 days. In this way it is fully established that the concerned workman has worked continuously for more than 240 days in a calendar year. As such he was entitled for benefit of section 25F Industrial Disputes Act.

7. It is not disputed that the management had not paid notice pay and retrenchment compensation, hence there has been breach of section 25F (1) and (2) of Industrial Disputes Act. Accordingly the termination order is bad on this score alone.

8. There is no evidence to show that juniors to the concerned workman were retained and fresh hands have been engaged after the termination of the services of the concerned workman. Hence order cannot be assailed on these two grounds.

9. Lastly, I am of the view that the pretext under which the concerned workman has been removed from service is also not tenable as concealment of qualification is not a misconduct which may result removal from service. For this reference may also be made to the case of Manfool Singh Versus Union of India 1994(69)FLR 419 Allahabad.

10. In any case if the services of the concerned were to be dispensed with on this ground the proper course would have been to conduct a domestic enquiry for this purpose.

11. In the end, my award is that the termination of the services of the concerned workman is bad in law and as such the concerned workman will be entitled for reinstatement in service. However, under special circumstances of the case the concerned workman will not be entitled for back wages. The concerned workman shall also get Rs. 100 from the management as costs of the case.

12. Reference is answered accordingly.

B. K. SRIVASTAVA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 1996

का. आ. 486.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में, केन्द्र सरकार औद्योगिक अधिकरण, चण्डीगढ़ के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 30 जनवरी, 1996 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-12011/31/90/आई. आर. बी-2]
वी. के. शर्मा, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 31st January, 1996

S.O. 486.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal CHANDIGARH as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of CENTRAL BANK OF INDIA and their workmen, which was received by the Central Government on 30-1-1996.

[No. L-12011/31/90/IR (B.II)]
V. K. SHARMA, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SHRI S. R. BANSAL, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, CHANDIGARH

Case No. 116/90

Ashok Kumar, C/o Shri D. S. Raheel, Secretary, Central Bank of India Employees Union, Punjab.

Vs.

Regional Manager, Regional Office, Central Bank of India, Queen's Road, Civil Lines Amritsar. Respondent

For the Workman—None

For the Management—Yogesh Jain

AWARD

The Central Govt. vide its letter bearing No. L-12011/31/90-IR-B, dated 4th September 1990, has made the following reference to this court for adjudication :—

"Whether the action of the management of Central Bank of India, Amritsar in imposing the punishment of stoppage of two increments in relation to Shri Ashok Kumar, Clerk-cum-Cashier-cum-GK, Gurudaspur is justified ? If not to what relief the workman is entitled to ?"

On receipt of reference notices were issued to the workman as well as to the management. The workman appeared and submitted his statement of claim. The plea raised by the workman is that he joined the management bank on 14-9-81 as clerk-cum-Assistant Cashier-cum-Godown Keeper at Dharamkot Branch and remained posted there upto August 1985. On 5-6-85 a memorandum of charges was issued to the workman by the Branch Manager Dharamkot Branch containing allegations that he made payment of Rs. 20,000 against token No. 494 to one Shri Ishar Dass holder of Home Saving Safe Account No. 1831, whereas Shri Ishar Dass has lodged a complaint with the bank that he did not receive any such amount on 22-4-85. The workman submitted reply to the charge sheet. Enquiry was ordered into the alleged lapses and Shri D. K. Khanna, Chief Officer, Regional Office, Amritsar was appointed as Enquiry Officer. After the enquiry, the impunged order dated 5-12-1987 was passed by Shri N. K. Jaiswal, Regional Manager, Central Bank of India, Amritsar, whereby two increments of the workman which will have the effect of postponing of future increments were ordered to be stopped. The workman preferred appeal against the said order to the Zonal Manager, but his appeal was dismissed on 17-3-1988/4-4-88. According to the workman, the statement of Ishar Dass complaint was never recorded and the best evidence was intentionally withheld. It has also been alleged that the punishment imposed on the workman is excessive and disproportionate to the magnitude of the charges. There was no evidence. The copy of the complaint was not supplied to the workman nor the report of the preliminary investigation. There was denial of reasonable opportunity. It is alleged that disciplinary authority acted with a pre-determined mind. There was departure from the prevalent practice in the branch. The workman, therefore, demanded that impunged order dated 12-5-87 and 17-3-88/4-4-88 should be quashed and consequential relief of entitlement should be given to the workman.

The stand of the management in the written statement filed is that although gravity of the charges proved warranted a severe punishment but the management had taken a lenient view in the matter. It was pleaded that the workman is estopped from raising dispute on account of his own acts and conduct. On merits it was pleaded that wrong payment was made in the account of Ishar Dass to the extent of Rs. 20,000. Shri Ishar Dass lodged a complaint with the bank for having not withdrawn the money. Accordingly, charge sheet was served. It was conclusively established from the enquiry that the payment was made to the wrong person. The enquiry conducted was just and reasonable and reasonable

opportunity was granted to the workman. The order of the disciplinary authority inflicting the punishment is just and perfect and the appeal was rightly rejected. It was pleaded that the workman is not entitled to any relief.

The workman submitted replication controverting allegations of the management as made in the written statement and reiterated his earlier assertions.

The workman was called upon to leave evidence. He appeared as WW1 and tendered his affidavit Ex.W1 containing almost same allegations as made in the claim statement. During cross-examination he admitted that on 12-4-85 he was working as cashier in Dharamkot branch and that Ishar Dass has opened account No. 1931 with the said branch. He also admitted having received charge sheet Ex.M1 and further admitted that the enquiry was held and Ex.M2 is the copy of the same. He also admitted that Ex.M3 is the finding of the enquiry officer and admitted that Ex.M4 is the copy of the order of the proposed punishment. He also stated that Ex.M5 is the final written submissions and Ex.M6 is the final order passed by the disciplinary authority. He also pleaded that Ex.M7 is the copy of order of appeal preferred by him and Ex.M8 is copy of the order of the appellate authority. He admitted that he was allowed full opportunity to defend himself during the enquiry.

In rebuttal the management produced MW1 B. K. Chibber, Chief Manager of the Central Bank of India Zonal Office, Chandigarh who produced his affidavit Ex.M9. The perusal of the affidavit shows that the workman while working as cashier in the branch of Dharamkot made payment of Rs. 20,000 against token No. 494 in Account No. 1831 in the name of Ishar Dass for which he was charge sheeted and a departmental enquiry was conducted. It also reveals that adequate opportunity was given to the workman to cross-examine the witnesses produced by the management besides adducing defence evidence. Persual of Para No. 6 shows that Ashok Kumar was allowed opportunity of personal hearing by disciplinary authority and that on the basis of evidence produced during the enquiry he was found guilty of the charges and was awarded the punishment and further his appeal against the order of disciplinary authority was rejected.

As noticed above, the workman has admitted all the allegations of the management during cross-examination and also admitted documents Ex.M1 to Ex.M8. The persual of these documents to the workman. There was gross misconduct proved during the enquiry on his part. However, the management took a lenient view and imposed a penalty of stoppage of two increments which is quite commensurate with the charges proved against him. I have gone through the enquiry proceedings Ex.M2. The enquiry conducted is fair and proper and the punishment imposed is also quite adequate. The appeal of the workman was rejected by the appellate authority. The workman is not entitled to any relief. Accordingly this reference shall stand answered against the workman. Appropriate Govt. be suitably informed in this regard.

Chandigarh.
5-1-96.

S. R. BANSAL, Presiding Officer

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 1996

का. आ. 487.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, चण्डीगढ़ के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 30 जनवरी, 1996 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-12012/24/87/डी. II ए/आई. आर. बी-2]
वी. के. शर्मा, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 31st January, 1996

S.O. 487.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal Chandigarh as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Central Bank of India and their workmen, which was received by the Central Government on 30-1-96.

[No. L-12012|24|87-DIIA|IR(B-II)]
V. K. SHARMA, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SHRI S. R. BANSAL, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, CHANDIGARH

CASE NO. ID 85|87

R. S. Mehta C|o The General Secretary. Central Bank of India Employees Union (Pb.), Kothi No. 1190, Sector-37B, Chandigarh .. Applicant

Vs.

The Regional Manager, Central Bank of India, Regional Office Ambala Cantt. .. Respondent

For the workman : Mangat Sharma.
For the management : Yogesh Jain.

AWARD

In exercise of the powers conferred under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act 1947, (for short called as the Act), Central Govt. vide letter No. L-12012|24|87-D.II(A) dated 14th September 1987, has referred the following dispute between the workman R. S. Mehta and the management of Central Bank of India, to this Court for adjudication :

"Whether the action of the management of Central Bank of India, Ambala Cantt. in imposing punishment of stoppage of one increment permanently with cumulative effect on Shri R. Mehta, Asstt. Cashier-cum-Godown Keeper, on 22-8-85, justified ? If not, to what relief is the concerned workman entitled ?"

On receipt of the reference, notices were issued to the workman as well to the management. The workman submitted his statement of claim wherein he took up the position that the charge sheet dated 30-3-1983 was false and that the amount of Rs. 200 was actually deposited on 3-7-1981. The complaint was written by the branch manager himself in the cabin of the branch and that Shri Hargobind Lal complainant was never produced during the course of enquiry. Similarly Gulshan Kumar in whose account, the amount of Rs. 200 is stated to have deposited was also not produced during the enquiry. It is alleged that Shri S. D. Narang enquiry officer had absolved the deliquent workman of the charges against him but the disciplinary authority without any cogent reason differed with the findings of the enquiry officer and without passing a speaking order proposed the punishment on the workman. This act of the disciplinary authority in imposing punishment to the workman is illegal there was a delay of about 17 months in the serving of the charge sheet. It is alleged that the management failed to give reasonable opportunity to the workman to establish the truth. The workman, therefore, demanded that the action of the management in imposing punishment of stoppage of one increment with cumulative effect on Shri R. S. Mehta should be set aside.

The management in the written statement filed however, plegded that there was suffiicient material to show that a case of mis-appropriation to the extent of Rs. 70|- was duly established and conclusively proved against the workman. However, disciplinary authority took up a lenient view and imposed a minor penality. It is alleged that the Disciplinary Authority was well within its right to differ with the findings of the enquiry officer by giving cogent reasons and imposed the punishment upon the workman. It is also alleged that the workman preferred appeal against the order of disciplinary authority and that the same was rejected. It is pleaded that the enquiry officer had erroneously come to the conclusion that the charges are not proved. The disciplinary authority keeping in view the evidence produced was well within its right to hold that the workman was guilty of the misconduct. It is allegged that the disciplinary authority has given its reason to differ with the findings of the enquiry officer and this action of the disciplinary authority is perfectly legal and valid in the eyes of law. Although, it was proposed that punishment of stoppage of two increment with cumulative effect, yet during the personal hearing it was thought proper to still take a lenient view and impose lesser punishment. In all the plea taken is that the action of the management is prefectly legal and justified and the workman is not entitled to any relief on this score.

On the basis of these pleadings, the parties were called upon to adduce its evidence.

The workman submitted his own affidavit Ex.W1 and also produced Ex.W2 copy of the enquiry report of Shri S. D. Narang dated 5-7-85. The workman appeared as WW1 and proved his affidavit. During cross-examination, he admitted that voucher Ex.M1 is duly signed by him. He also admitted Ex.M2 the photocopy of cash scroll for 1-7-1981 and also admitted that the said voucher is entered at Serial No. 1 of the scroll. In rebuttal the management produced MW1 D. K. Gupta who produced his affidavit Ex.M6. When cross-examined, he admitted that in the charge sheet it is no specifically mentioned that the workman has mis-appropriated Rs. 70. He also admitted that the complaint was not produced during the enquiry. Ex.M7 is the copy of the enquiry proceedings. He denied that the Disciplinary authority while differing with the report of the enquiry officer has not given any cogent reasons for same. MW2 Shri S. K. Tarafdar produced his affidavit Ex.M8, and stated during cross-examination that he held the preliminary enquiry and further stated that the charge sheet is based upon his investigation report.

No doubt the persual of the enquiry report Ex.W2 reveals that the enquiry officer has absolved the workman of the charges against him; yet, the perusal of show cause notice Ex.M3 dated 30-7-1985 show that the disciplinary authority has given cogent reasons for differing with the report of the enquiry officer. It further reveals that the disciplinary authority held the charges against the workman to have been proved and proposed the punishment of stoppage of two increments permanently yet, after personal hearing punishment of stoppage of one increment with cumulative effect was imposed. Ex.M4 the copy of the order of appellate authority shows that the appeal preferred by the workman was

rejected. The perusal affidavit Ex. M6 shows Rs. 70 by having received a sum of that Shri R.S. Mehta had mis-appropriated a sum of Rs. 200 on 1-7-1981. However, in the relevant books he has shown that an excess amount of Rs. 130 was found in cash. He also tempered with the official record. During enquiry it was established that Shri R. S. Mehta was negligence in performance of his duties. It is further, revealed that the workman had admitted the lepse before the disciplinary authority. Similarly affidavit Ex.M8, shows that Shri S. K. Tarafdar came to the conclusion that Shri R. S. Mehta had mis-appropriated a sum of Rs. 70 for having received a sum of Rs. 200 wherein he has shown that an amount of Rs. 130 was found in excess in the cash. I have persued the entire proceedings of the enquiry as made available to me. There was nothing on the record to reveal that Sh. R.S. Mehta was innocent of the charges levelled against him. Banking industry is very important from public angle. A man of his merit are required to the financial dealings. A person with doubtful entecedent, can not be expected to handle investor money or to squander it away. The management has already been very lenient towards the workman by inflicting the punishment of stoppage of one increment with cumulative effect. The action of the management in doing so is perfectly legal and justified and the workman cannot be held entitled to any relief o nthis score. The reference shall stand answered against the workman, accordingly. The appropriate Government be informed.

Chandigarh.
12-12-1995.

S. R. BANSAL, Presiding Officer

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 1996

का. आ. 488—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार बी. आर. पी. एल. धालियागोन के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में, औद्योगिक अधिकरण, गोहाटी (आसाम) के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 29-1-96 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-30012/3/94 आई-आर (कोल—I)]
ब्रजमोहन, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 31st January, 1996

S.O. 488.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Guwahati (Assam) as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of B.R.P.L., Dhaligaon and their workmen, which was received by the Central Government on 29-1-1996.

[No. L-30012|3|94-IR (Coal-I)]
BRAJ MOHAN, Desk Officer

ANNEXURE

IN THE INDUSTRIAL TRIBUNAL : GUWAHATI : ASSAM.

REF. NO. 9(c) OF 1994.

PRESENT :

Shri J. C. Kalita, B.A. (Hons.) LL.B.,

Presiding Officer,

Industrial Tribunal- Gawahati.

In the matter of an Industrial Dispute

BETWEEN :

Management of

B.R.P.L., Dhaligaon.

Versus

General Secy., Progressive Emlpoyees Union, B.R.P.L., Dhaligaon.

AWARD

This Reference arising out of the Government Notification No. L-30012|3|94-IR (COAL-I) dt. 26-10-94 relates to the dispute indicated in the Schedule below :—

"Whether the action of the management of B.R.P.L., Dhaligaon in not promoting Sri Manoranjan Haloi w.e.f. 1-8-92 from Operator Gr. C to Gr. D as per the laid down promotion policy is justified? If not, what relief the workman concerned is entitled to?".

On receipt of notice both the parties appeared and filed their written statement before the Tribunal. The learned counsel for the management is present. Union is absent even after service of notice without any steps.

It has been seen that about a year has elapsed since its registration for adjudication. It seems that the Union is not interested for the reason best known to it. Hence the reference is disposed of without any award.

I given this award on this 19th January, 1996 under by hand and seal.

J. C. KALITA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 1996

का. आ. 489—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 16 की उप धारा (1) के अनुसरण में, श्री बी. आर. ... के स्थान पर श्री एस. के. शर्मा, भारतीय प्रशासनिक सेवा (हरि-1964) के अधिकारी को 1 फरवरी, 1996 से अगले आदेश जारी किये जाने तक महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के रूप में नियुक्त करती है।

[संख्या ए. 12026/2/95 एस. एस.—1]
जय प्रकाश शुक्ला, अवर सचिव

New Delhi, the 1st February, 1996

S.O. 489.—In pursuance of Sub-Section (1) of Section 16 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints Shri S. K. Sharma, an Officer of the Indian Administrative Service (Hy : 1964) as the Director General, Employees' State Insurance Corporation vice Shri B.R. Basu with effect from 1st February, 1996 untill further orders.

[No. A-12026|2|95-SSI]

J. P. SHUKLA, Under Secy.

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 1996

का.आ. 490.—राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम-10 के उप नियम (4) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, श्रम मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन निम्नलिखित कार्यालयों को एतद्द्वारा अधिसूचित करती है :—

1. कल्याण आयुक्त, का कार्यालय, हजारीबाग, बिहार।
2. केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय, सं.-1, धनबाद, बिहार ।
3. केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय, चंडीगढ़ ।

[संख्या ई-11011/1/93-रा.भा.नी.]

आर. के. रंग, उप सचिव

New Delhi, the 2nd February, 1996

S.O. 490.—In pursuance of sub-rule (4) of Rule 10 of the Official Language (use for official purposes of the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notifies the following offices under the administrative control of Ministry of Labour:—

1. Office of Welfare Commissioner, Hazaribag, Bihar.
2. Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court No. 1, Dhanbad, Bihar.
3. Central Govt. Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Chandigarh.

[F. No. E-11011|1|93-R.B.N.]

R. K. RANG, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 1996

का.आ. 491.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार हरियाणा मिनर्ल्स लि., महेन्द्रगढ़ के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, नई दिल्ली के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 18-1-96 को प्राप्त हुआ था ।

[संख्या एल-29011/39/90-आई आर (विविध)]

बी. एम. डैविड, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 2nd February, 1996

S.O. 491.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, New Delhi as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of M|s. Haryana Minerals Ltd,. Mahendra Garh 123001 and their wormen, which was received y the Central Government on 18-1-1996.

[No. L-29011|39|90-IR (Misc.)]

B. M. DAVID, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SHRI GANPATI SHARMA : PRESIDING OFFICER : CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL :

NEW DELHI

I.D. No. 56|1991

In the matter of dispute between
Workmen of erstwhile owner.
M|s. Green Stone Company,
through Shri Rattan Singh
473, Jaite Mohalla, Tuglakabad,
New Delhi-110044.

Versus

General Manager M|s. Haryana Minerals Ltd., Nizampur Road, Narnaul, Distt. Mahendragarh-123001.

APPEARANCES :

None for the workmen.

Shri Baldev Atrey for the Management.

AWARD

The Central Government in the Ministry of Labour vide its Order No. L-29011|39|90-I.R. (Vividh) dated 11|15-4-91 has referred the following Industrial Dispute to this Tribunal for adjudication :

> "Whether the action of the management of M|s. H.M.L. in relation to the Chief Mining Engineer of H.M.L., Faridabad in not absorbing the workman listed at Annexure I of the erstwhile owner M|s. Green Stone Co. after taking over the possession of Mawla Maharajpur Stone Quarry w.e.f. 1-4-1989 is just, fair and legal. If not, what relief the concerned workmen are entitled to and from what date?"

The workman did not appear earlier and a registered notice was again sent to the parties to appear in the case but none appeared on behalf of the workmen and the workmen proceeded against exparte on 30-3-94. Thereafter also on no date the workman or his representative appeared. However, the management filed affidavit of one Rajindera Phougat Secretary of the Company MW1|1 and made statement on oath verifying the facts stated therein.

3. In view of the statement oath of the responsible officer of the management and no evidence of the workman on record (E) having been proceeded against exparte the action of the Management seems to be justified, fair and legal. The workman as much are not entitled to any relief. However, parties are left to bear their own costs.

26th December, 1995.

GANPATI SHARMA, Presiding Officer

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1995